5§ पैरा 5§ण.त§	निर्णीत ।

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड मण्डल, धर्मशाला जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

अवधि 4/94 से 3/95 तक

भाग एक

1§ **गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-**

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित निपटाए गए तथा अनिर्णीत पड़े पैरों का विवरण निम्न दिया जाता है, अनिर्णीत, पड़े पैरों के शीघ्र निपटारे हेतु आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

क§ अवधि 4/84 से 3/85 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1§ पैरा 4§1§	अनिर्णीत ।

ख§ अवधि 4/86 से 3/87 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1§ पैरा 5§ई§	अनिर्णीत ।
2§ पैरा 9§5§§बी§	निर्णीत ।

ग§ अवधि 4/87 से 3/88 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1§ पैरा 5§ए§§1§	अनिर्णीत ।
2§ पैरा 5§क्यू§§	अनिर्णीत ।
3§ पैरा 6§डी§	अनिर्णीत ।

घ§ अवधि 4/88 से 3/89 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

1§ पैरा 6§§सी§	निर्णीत ।
2§ पैरा 7§12§	निर्णीत ।

ङ§ अवधि 4/89 से 3/90 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

1§ पैरा 3	निर्णीत ।
2§ पैरा 4§1§§ए§§बी§	निर्णीत ।
3§ पैरा 4§1§§सी§	अनिर्णीत ।
4§ पैरा 4§3§§बी§	निर्णीत ।
5§ पैरा 4§7§§ई§	अनिर्णीत ।
6§ पैरा 4§8§§सी,डी,ई तथा एफ§	निर्णीत ।
7§ पैरा 4§13§14§18§20§	निर्णीत ।
8§ पैरा 4§2§बी	निर्णीत ।
9§ पैरा 4§2§सी	अनिर्णीत ।
10§ पैरा 4§23§	निर्णीत ।
11§ पैरा 5§1,2,5,7 तथा 8§	अनिर्णीत ।
12§ पैरा 5§3,4,तथा 6§	निर्णीत ।
13§ पैरा 5§10,11,12§	अनिर्णीत ।
14§ पैरा 6§1,2§तथा §4 से 11§	निर्णीत ।

लगातार, ... 2 पर.....

15§ पैरा 6§3§ अनिर्णीत ।
16§ पैरा 7§1§§सी§ अनिर्णीत ।
17§ पैरा 7§2§सी से एफ तक§ अनिर्णीत ।
18§ पैरा 7§3§§ए§§2§ अनिर्णीत ।
19§ पैरा 7§3§बी तथा सी§ अनिर्णीत ।
20§ पैरा 7§5,7,11§ए§ निर्णीत।
21§ पैरा 8§3,4,5,7 से 10, 12, 14, 15, 16§ निर्णीत ।
22§ पैरा 8§6§और§17§ अनिर्णीत ।

च§ अवधि 4/90 से 3/91 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

1§ पैरा 3 निर्णीत ।
2§ पैरा 4§1§§घ§ निर्णीत ।
3§ पैरा 4§2§ निर्णीत ।
4§ पैरा 4§3§ख,ग§ निर्णीत ।
5§ पैरा 4§4§ निर्णीत ।
6§ पैरा 4§5§क§ निर्णीत ।
7§ पैरा 4§9§क§ निर्णीत ।
8§ पैरा 4§10§§ग§ अनिर्णीत ।
9§ पैरा 4§12§ अनिर्णीत ।
10§ पैरा 4§16§ निर्णीत ।
11§ पैरा 4§20§क§ निर्णीत ।
12§ पैरा 4§22§ निर्णीत ।
13§ पैरा 4§24§ग§ निर्णीत ।
14§ पैरा 5§5§ निर्णीत।
15§ पैरा 6§1§ निर्णीत ।
16§ पैरा 6§5§ अनिर्णीत ।
17§ पैरा 7§3§§ख§ निर्णीत ।
18§ पैरा 7§6§ निर्णीत ।
19§ पैरा 7§13§क§ निर्णीत ।
20§ पैरा 7§16§ निर्णीत।
21§ पैरा 7§22§ निर्णीत ।
22§ पैरा 8 निर्णीत
रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं है ।
23§ पैरा 9§2§ अनिर्णीत ।
24§ पैरा 9§6§ अनिर्णीत ।
25§ पैरा 9§8§

छ§ अवधि 4/91 से 3/92 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

1§ पैरा 5§ग-3§ निर्णीत ।
2§ पैरा 5§ड§§1§ अनिर्णीत ।
3§ पैरा 5§ड§§2§§3§ निर्णीत ।
4§ पैरा 5§ड§ 1 से 3 तक§ निर्णीत ।

लगातार पृष्ठ 3 पर.....
लगातार पृष्ठ 5 पर.....

113

5) पैरा 5(ण,त) निर्णीत ।
6) पैरा 5(थ-1) निर्णीत ।
7) पैरा 5(द-2) निर्णीत
8) पैरा 5(घ) अनिर्णीत
9) पैरा 7(क) अनिर्णीत ।
10) पैरा 7(ग) निर्णीत ।
11) पैरा 9(ख) निर्णीत ।
12) पैरा 10(ग) अनिर्णीत ।
13) पैरा 10(घ) निर्णीत ।
14) पैरा 11(ङ) निर्णीत ।
15) पैरा 11(च) अनिर्णीत ।
16) पैरा 12(घ) अनिर्णीत ।
17) पैरा 12(ङ) निर्णीत ।

ज) <u>अवधि 4/92 से 3/93 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।</u>

1) पैरा 3 निर्णीत ।
2) पैरा 4 अनिर्णीत ।
3) पैरा 5 अनिर्णीत ।
4) पैरा 6 अनिर्णीत ।
5) पैरा 7 निर्णीत ।
6) पैरा 8 निर्णीत ।
7) पैरा 9 निर्णीत ।
8) पैरा 10 अनिर्णीत ।
9) पैरा 11 अनिर्णीत ।
10) पैरा 12 निर्णीत ।
11) पैरा 13 निर्णीत ।
12) पैरा 14 निर्णीत ।
13) पैरा 15 निर्णीत ।
14) पैरा 16 निर्णीत ।
15) पैरा 17 अनिर्णीत ।

झ) <u>अवधि 4/93 से 3/94 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।</u>

1) पैरा 3 निर्णीत ।
2) पैरा 4 निर्णीत ।
3) पैरा 5 निर्णीत ।
4) पैरा 6(क,ख,घ,ङ व च) निर्णीत ।
5) पैरा 6(ग) अनिर्णीत ।
6) पैरा 7 निर्णीत ।
7) पैरा 8 अनिर्णीत ।
8) पैरा 9 अनिर्णीत ।
9) पैरा 10 निर्णीत ।
10) पैरा 11 निर्णीत ।
12) पैरा 12 निर्णीत ।

क) <u>कर्मचारी वर्ग को अग्रिम</u> :- हि0 प्र0 आवास बोर्ड धर्मशाला मण्डल के अधीन कार्यरत विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम मु0 6,058 रुपये की राशि अग्रिम के रूप में समायोजन के लिए बकाया

12) पैरा 13(क)	निर्णीत ।
13) पैरा 13(ख)	अनिर्णीत ।
14) पैरा 14	निर्णीत ।
15) पैरा 15	निर्णीत ।
16) पैरा 16	अनिर्णीत ।
17) पैरा 17	निर्णीत ।
18) पैरा 18	निर्णीत ।
19) पैरा 19(1)	आंशिक रूप से निपटाया गया ।
20) पैरा 19(2)	निर्णीत ।
21) पैरा 20	निर्णीत ।
22) पैरा 21	अनिर्णीत ।
23) पैरा 22	अनिर्णीत ।
24) पैरा 23	निर्णीत ।
25) पैरा 24(क,ख)	निर्णीत ।
26) पैरा 24(ग)	अनिर्णीत ।
27) पैरा 25(क)	अनिर्णीत ।
28) पैरा 25(ख,ग)	निर्णीत ।
29) पैरा 25(घ)	अनिर्णीत ।
30) पैरा 26,27 तथा 28	निर्णीत ।
31) पैरा 29	अनिर्णीत ।
32) पैरा 30	अनिर्णीत ।

~~33)=पैरा~~

भाग =दो

2. **वर्तमान लेखा परीक्षा:-** वर्तमान लेखा परीक्षा 4/94 से 3/95 तक की अवधि का जिस के परिणाम आगामी पैरों में दिए गये हैं, सर्वश्री डी0 आर0 चौहान ~~अनुभाग अधिकारियों~~ ,डी0एस0चौधरी ए0एस0एस0 कश्यप ~~सहा~~ अनुभाग अधिकारीयों द्वारा 3.4.96 से 1.6.96 तक धर्मशाला में किया था । मास 6/94 से 3/95 ~~के~~ के लेखों का विस्तृत जांच हेतु चयन किया गया तथा निम्न पैरों में ~~भी~~ वर्णित अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए गये ।

3. **लेखा परीक्षा शुल्क :-**

निर्माण मण्डल शिमला के वर्ष 1994-95 के लेखाओं के लेखा परीक्षा शुल्क राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु हि0 प्र0 आवास बोर्ड मुख्यालय को पृथक से सूचित किया जाएगा ।

4. **अग्रिम:-**

क) **कर्मचारी वर्ग को अग्रिम :-** हि0 प्र0 आवास बोर्ड धर्मशाला मण्डल के अधीन कार्यरत विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम मु0 6959 रुपये की राशि अग्रिम के रूप में समायोजन के लिए बकाया

लगातार पृष्ठ 5 पर....

— 115 —

में पड़ी थी जिसका पूर्ण विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखों में वर्णित है । अग्रिम राशियों को समय पर वसूल न करने की स्थिति को बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है तथा अब इस सम्बन्ध में उचित कदम उठाए जाएं । लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि कुछ अधिकारी / कर्मचारी इस मण्डल से स्थानानतरित हो चुके हैं । परन्तु उन्होंने अग्रिम राशियों का समायोजन कराने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए है ।

ख॰ **विविध अग्रिम :-**

हि० प्र० आवास बोर्ड धर्मशाला मण्डल के अधीन विभिन्न विभागों / संस्थाओं/फर्मों तथा कर्मचारियों के नामों पर दिनांक 31. 3. 95 को मु० 10,34,184 रूपये की राशि समायोजनार्थ शेष पड़ी थी जिस का विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखों में दिया गया है उपरोक्त अग्रिम की समय पर वसूली/समायोजन नहीं करने की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है क्योंकि इन अग्रिम राशियों का बकाया उन द्वारा अपने पास बिना किसी औचित्य से रखना आपत्तिजनक ही नहीं अपितु अनुचित भी है । इस के विपरीत अग्रिम राशियों को वसूलने /समायोजन करने हेतु कोई भी ठोस प्रयास नहीं किए गये । अतः यह प्रकरण अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है ।

5. आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही के कारण मु० 36465/-रूपये मूल्य की स्टील का दुर्विनियोजन ।
==

वर्ष 1994-95 में अनुबन्ध संख्या 9 द्वारा श्री संजय पंजरोली ठेकेदार धर्मशाला में श्री टाईप -II के 6 मकानों के निर्माण कार्य का ठेका मु० 3,36,642.00 रूपये में दिया था । ठेकेदार ने इन मकानों के निर्माण कार्य को 6. 4. 1994 को आरम्भ किया । अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को इस निर्माण कार्य के लिए आवास बोर्ड मण्डल के भण्डार से केवल सिमेन्ट व लोहे की चादरें उपलब्ध/ निर्गम की जानी थी तथा भण्डार से दिये जाने वाले सिमेंट एवम् लोहे की चादरों की मु० 124रूपये प्रति बोरी व 27000/-रूपये प्रति मि० ट० की दर से वसूली की जानी थी । इन दो मदों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की भवन सामग्री आवास बोर्ड मण्डल द्वारा इस निर्माण कार्य के लिये उपलब्ध नहीं करवाई जानी थी ।

अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार स्टील का कार्य लेबर रेट पर किया जाना था तथा इस मद का लेबर रेट मु० 1.75 रूपये प्रति किलो ग्राम तय हुआ था । अतः ठेकेदार को भण्डार से किसी भी प्रकार का स्टील निर्गम नहीं किया जाना था तथा इस कार्य के लिए निर्माण के लिये समय-समय पर स्टील की खपत का पूरा हिसाब किताब विभागीय तौर पर ही रखा जाना था । क्योंकि इस मद के कार्य के लिये ठेकेदार को केवल कुल स्टील की खपत के आधार पर लेबर रेट की दर से भुगतान किया जाना था ।

लगातार पृष्ठ 6 पर.....

1784.97

वास्तविक खपत 713.11 — 89.24 124.89

परिशिक्त वेस्टेज 35.65 कि. ग्रा. —

-116-

भण्डार खातों की जांच पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत/अवहेलना करते हुए दिनांक 28.6.94 को इन्डेन्ट संख्या 8296 द्वारा संजय पंजरोली ठेकेदार को रू0 161,158.00रूपये मूल्य की 11.950 मि0 टन स्टील आवास बोर्ड मण्डल के भण्डार से उक्त निर्माण कार्य हेतु निर्गम/जारी की गई। ठेकेदार को स्टील जारी करते /देते समय न तो स्टील की सुरक्षा के उपायों के बारे अपेक्षित पग उठाये गये हैं तथा न ही स्टील जारी करने के लिये सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गई।

ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादन की धीमी गति तथा अन्य कारणों के कारण इस कार्य को आवास बोर्ड मण्डल द्वारा पत्र संख्या एच0 बी0/ ए0 बी0/मर्मो/ 94/ 4614-16 दिनांक 24.12.1994 को रिसाईन्ड कर दिया गया। कार्य रिसाईन्ड की तिथि तक माप पुस्तिका संख्या 708 पृष्ठ -32 व 40 , माप पुस्तिका सं0 714 पृष्ठ 13 में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार ठेकेदार द्वारा कुल 4402 किलोग्राम स्टील निर्माण कार्य के लिए प्रयोग की गई है तथा ठेकेदार को केवल 4402 किलोग्राम स्टील की मात्रा के लिये रू0 1.75 रूपये प्रति किलो ग्राम की दर से इस मद के लिये भुगतान किया गया। स्टील की कुल खपत (4402 किलोग्राम) पर 5% अपव्यय (wastage) दिखाई गई है। इस प्रकार माप पुस्तिका सं0 714 के पृष्ठ 16 से 18 पर दर्ज विवरण के अनुसार कुल 4622 किलोग्राम (4402+ 220 = 4622) स्टील की खपत दिखाई गई है। कार्य रिसाईन्ड करने के उपरान्त कार्य स्थल से केवल 5970 किलो ग्राम स्टील प्राप्त की गई है जिसे इस कार्य के एम0 ए0 एस0 पृष्ठ संख्या 1 से 4 पर दर्ज किया गया है। शेष 1358 किलोग्राम (11950 - 4622+5970) स्टील के बारे में रिकार्ड में स्थिति कहीं भी स्पष्ट नहीं की गई है। अत: 1358 किलोग्राम स्टील का खपत/ प्रयोग से सम्बन्धित विवरण एवम्
भण्डारण अभिलेख न होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त
स्टील की मात्रा का ठेकेदार या सम्बन्धित कर्मचारियों/ अधि-
कारियों द्वारा दुर्विनियोजन कर लिया गया है। क्योंकि अनुबन्ध
की शर्तों के अनुसार ठेकेदार के नाम स्टील बिल्कुल भी जारी /
निर्गम नहीं की जानी थी तथा क्योंकि इस मद का लेबर रेट तय
हुआ था अत: समय-2 पर निर्माण कार्य हेतु आवश्यक स्टील की मात्रा
बोर्ड के भण्डार से तभी जारी की जानी थी जब वास्तविक तौर
पर स्टील की कार्य पर आवश्यकता पड़नी थी। अत: सहायक
अभियन्ता एवम कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अपने ही स्तर पर अनुबन्ध
की शर्तों का उलंघन कर के स्टील को ठेकेदार के नाम जारी करने
के फलस्वरूप जो 1358 किलोग्राम स्टील की हानि हुई है उस की
दोषी अधिकारियों एवम कर्मचारियों से पैनल रेट, जो रू0 26852रू0
प्रति मि0 टन बनता है की दर से रू0 36465.00रूपये की वसूली की
जाए तथा इस के अतिरिक्त दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के
विरूध अनुबन्ध की शर्तों की अवहेलना करने के लिये उचित कार्यवाही

लगातार पृष्ठ 7 पर...

1784.97 -

713.11

- 117 -

की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की अवांछनीय घटनाओं की पुन:वृत्ति न हो सके । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि माप पुस्तिका संख्या 714 के पृष्ठ 16 से 18 पर दर्ज अन्तिम बिल की राशि स्टील की वसूली को छोड़ कर पहले ही घाटे ‌§5§ में है तथा इतनी बड़ी राशि की ठेकेदार से वसूली करना सम्भव नहीं होगा ।

6§ 47,786.00रूपये की 30.83 क्विंटल स्टील/सरिये की अनुचित खपत की वसूली करने बारे ।

===

पालमपुर उपमण्डल में विभिन्न भवनों §21 नम्बर कैटीगरी -III§, तथा 25 नम्बर कैटीगरी-II, 32 नम्बर कैटीगरी -III, तथा 18 नम्बर कैटीगरी -I § के निर्माण कार्य का ठेका विभिन्न ठेकेदारों को दिया गया । इन भवनों में प्रयोग होने वाली स्टील/सरिये की मद का कोर्य लेबर रेट पर दिया गया जिस के फलस्वरूप ठेकेदारों को विभाग द्वारा न तो कोई स्टील दी गई तथा न ही इन ठेकेदारों से स्टील दी गई तथा ही इन ठेकेदारों से स्टील की कोई वसूली की गई / स्टील/सरिये का लेबर रेट होने के कारण स्टील के नियन्त्रण एवम् खपत का पूरा हिसाब किताब विभाग द्वारा अपने स्तर पर रखा गया ।

वर्तमान समय में आवास बोर्ड मण्डल में प्रचलित पद्धति के अनुसार सरिये की खपत निकालने के लिये सर्वप्रथम कार्य पर प्रयोग की गई स्टील को वास्तविक प्रयोग के अनुसार रनिंग मीटरों में मापा जाता है तथा तत्पश्चात मोटाई के आधार पर अलग-अलग कनवर्शन फैक्टर लगा कर रनिंग मीटरों में मापे गये सरिये को किलोग्रामों में बदला जाता है तथा इस विधि/ढंग से निकाली गई स्टील की मात्रा की अन्तिम खपत के लिये गणना की जाती§ है ।

पालमपुर § विन्दरावन§ में निर्माणाधीन उक्त भवनों में स्टील की खपत की जांच के दौरान यह पाया गया कि इन कार्यों में उक्त विधि/ तरीके से निकाली गई कुल वास्तविक खपत में 5 प्रति-शत स्टील की मात्रा वेस्टेज§ wastage § के रूप में अलग से जोड़ी गई है तथा भण्डार /एम0ए0 एस0 के खातों से स्टील/सरिये की अन्तिम खपत अलग से जोड़ी गई 5 प्रतिशत वेस्टेज § wastage § की मात्रा को जोड़ कर की गई है । अर्थात सरिये की अलग-2 मोटाई के आधार पर जो कुल खपत रनिंग मीटरों में मापी गई थी की मात्रा को अलग-2 कन्वर्शन फैक्टर लगा कर जो सरिये की वास्तविक खपत थी उस में अलग से कुल मात्रा का 5 प्रतिशत वेस्टेज § § के रूप में जोड़ कर स्टील/सरिये की अन्तिम खपत दर्शाई गई है । इस प्रकार स्टील/सरिये की 100 किलोग्राम वास्तविक खपत के लिये 105 किलोग्राम स्टील भण्डार खातों से निकाली गई है ।

स्टील /सरिये के ऐनालीसज में भी 100 किलोग्राम स्टील/सरिये की खपत के लिये 5 प्रतिशत की दर से 5 किलोग्राम वेस्टेज§ wastage § के लिये प्रावधान है । सरिये क्योंकि नान पैरिशेबल§ Non-Perishable § मद है अत: स्टील के

लगातार पृष्ठ 8 पर...

713.11 --- 1784.97 - -

वास्तविक खपत

89.24 124.89

वास्तविक प्रयोग के समय 5 प्रतिशत वेस्टेज के बराबर जो सरिये के टुकड़े स्क्रैप के रूप में बच जाते हैं, को भण्डार खातों में दर्ज करना अनिवार्य है क्योंकि अन्यथा वास्तविक रूप में रनिंग मीटरों के मापी गई तथा कन्वर्शन फैक्टर लगा कर निकाली गई मात्रा ही वास्तविक खपत बनती है तथा अगर इस मात्रा में अलग से 5 प्रतिशत वेस्टेज जोड़ी जाती है तो 5 प्रतिशत वेस्टेज के बराबर सरिया निश्चत रूप से भण्डार खातें में स्क्रैप के रूप में लेना अनिवार्य है ।

मण्डल के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अपनाये गये वर्तमान ढंग से 5 प्रतिशत सरिये की मात्रा का न तो कार्यों पर प्रयोग हो रहा है और न ही स्क्रैप के रूप में इस का हिसाब किताब रखा जा रहा है । अर्थात खरीदे गये कुल सरिये की मात्रा तो वेस्ट (waste) दर्शाई जा रही है परन्तु इस वेस्ट (waste) स्टील का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जारहा है । इन भवनों में सैकड़ों मीट्रिक टन सरिया प्रयोग किया जा चुका है तथा नियमनुसार 5% वेस्टेज के बराबर टनों के हिसाब से सरिया स्क्रैप के रूप में भण्डार खातों में दर्ज होना चाहिये था । परन्तु जांच पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि न तो वेस्टेज स्टील की मात्रा भण्डार में ली गई है तथा न ही इस का कोई खाता खोला गया है अतः वेस्टेज दिखा कर वास्तविक खपत से 5 प्रतिशत अधिक खपत दिखाना एक बहुत ही गम्भीर अनियमितता है तथा इस मामले में तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है क्योंकि इस गल्त तरीके / ढंग से सरिये की दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है ।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अन्य कार्यों जैसे कि सिद्धबाड़ी (धर्मशाला) में शिक्षा बोर्ड के लिए बनाये जा रहे भवनों के निर्माण जिन में भी स्टील का लेबर रेट था तथा अन्य समस्त कार्यों में जहां पर सरिये का थ्रो (Through) रेट था वहां पर सरिये की खपत में 5% वेस्टेज का दावा नहीं किया गया है । तथा इन कार्यों में वास्तविक खपत माप के आधार पर की गई है । अतः एक ही मण्डल में सरिये की खपत के लिये दो अलग-2 तरीके अपनाने बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाये ।

जांच परीक्षण के दौरान पायेगये ऐसे मामले जहां पर 5 प्रतिशत वेस्टेज दिखाकर अधिक खपत की गई है का विवरण निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	माप पुस्तिका सं०	पृष्ठ सं०	माह/वर्ष	खपत का विवरण	सरिये का विवरण 8 एम.एम.	10 एम.एम.	12 एम.एम.	वेस्ट की मात्रा	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.
				(2) 21 नम्बर कैटेगरी -II भवनों का निर्माण	किलोग्राम				
1.	682	पृ0-59	6/94	1. वास्तविक खपत	713.11	---	1784.97	-	-
				2. 5 प्रतिशत वेस्टेज	35.65	—	89.24	124.89	
								कि. ग्रा.	-

लगातार पृष्ठ 9 पर....

क्र.सं.	माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ संख्या	माह / वर्ष	खपत का विवरण	सरिये का विवरण 8 एम.एम	10 एम.एम	12 एम.एम	वेस्टेज मात्रा	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3) कुल खपत जो की गई।	748.00 कि.ग्रा	---	1874.00	-	-
8	731/94 पृ 35	3/95	1) वास्तविक खपत	613.52	----	1596.64	-	8 एम.एम सरिये में वेस्टेज 5% से भी अधिक है
			2) वेस्टेज 5%	36.67	---	79.83	116.50	
			3) की गई खपत	650.00	----	1680		
			(2) ~~अब~~ 25 नम्बर कैटीगरी -II भवनों का निर्माण					
	695 पृ-25	6/94	1) वास्तविक खपत	-	-	0.022	1.00	
			2) वेस्टेज (5%)	-	-	0.001		
			3) की गई खपत	-	-	0.023		
			(3) 18 नम्बर कैटीगरी-I भवनों का निर्माण।					
	65 पृ-43-44	एम.ए.एस. पृ-52	1) वास्तविक खपत	974.94	-	2767.16	187.09	
			2) वेस्टेज (5%)	48.74	-	138.35		
			3) की गई खपत	1025.00	-	2906.00		
	65 पृ67-68	-"-	1) वास्तविक खपत	524.77	-	1420.06	97.00	
			2) वेस्टेज (5%)	26.23	-	71.00		
			3) की गई खपत	551.00	-	1491.00		
	65 पृ91-92	-"-	1) वास्तविक खपत	327.94	-	879.70	60.37	
			2) वेस्टेज (5%)	16.39	- ~~43.98~~	43.98		
			3) की गई खपत	344.00	-	924.00		
	694 पृ94-95 व 702 पृष्ठ -3	-"-	1) वास्तविक खपत	1084.83	2484.34	2315.27	294.21	
			2) वेस्टेज (5%)	54.34	124.21	115.66		
			3) की गई खपत	1139.00	2609.00	2429.00		
	703 पृष्ठ-9	-"-	1) वास्तविक खपत	650.89	2477.04	1337.04	223.24	
			2) वेस्टेज (5%)	32.54	123.85	66.85		
			3) की गई खपत	683.00	2600.00	1403.00		

लगातार पृष्ठ 10 पर.....

120

	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	702 पृ 14-22	एम.ए.एस. पृ0 -52	1) वास्तविक खपत	154.27	3779.78	293.29		
			2) वेस्टेज (5%)	7.71	188.98	14.66	211.35	
			3) की गई खपत	162.00	3968.00	307.00		
10.	702 पृ-35	[illegible] पृ-52	1) वास्तविक खपत	1829.70	1244.99	254.02		
			2) वेस्टेज (5%)	91.48	62.24	12.70	166.42	
			3) की गई खपत	1921.00	1307.00	267.00		
11.	650 पृ-53	-"-	1) वास्तविक खपत	541.27	-	1097.85		
			2) वेस्टेज (5%)	27.06	-	54.89	81.95	
			3) की गई खपत	568.00	-	1153.00		
12.	702 पृ-51	-"-	1) वास्तविक खपत	1786.42	-	1806.36		
			2) वेस्टेज (5%)	89.32	-	95.31	179.68	
			3) की गई खपत	1876.00	-	1996		
13.	650पृ-75	एम.ए.एस.-53	1) वास्तविक खपत	2053.42	-	730.16		
			2) वेस्टेज (5%)	102.65	-	36.50	139.15	
			3) की गई खपत	2156.00	-	767.00		
14.	650पृ-79	-"-	1) वास्तविक खपत	1811.80	-	166.83		
			2) वेस्टेज (5%)	90.60	-	8.34	98.94	
			3) की गई खपत	1902.00	-	175.00		
			32 नम्बर कैटीगरी -III भवनों का निर्माण					
15.	681 पृ-44	एम.एस.एस-62	1) वास्तविक खपत	534.11	-	1547.88		
			2) वेस्टेज (5%)	20.70	-	77.39	98.09	
			3) की गई खपत	561.00	-	1625.00		
16.	681 पृ.-74	-"-	1) वास्तविक खपत	841.11	-	2186.26		
			2) वेस्टेज (5%)	42.05	-	109.31	151.36	
			3) की गई खपत	883.00	-	2.296		
17.	703 पृ-3	-"-	1) वास्तविक खपत	808.56	-	1728.23		
			2) वेस्टेज (5%)	40.42	-	86.41	126.83	
			3) की गई खपत	849.00	-	1815.00		

लगातार पृष्ठ 11 पर.. .....

18.	703पृ-20	-"-	1) वास्तविक खपत	2550.72	806.29	85.74	
			2) वेस्टेज (5%)	127.53	40.31	12.28	180.12
			3) की गई खपत	2670.00	847.00	98.00	
19.	703 पृ-41	एम.ए.एस.-62	1) वास्तविक खपत	2173.31	-	1512.23	
			2) वेस्टेज (5%)	108.66	-	75.61	184.27
			3) की गई खपत	2282.00	-	1588.00	
20.	704पृ -40	-"-	1) वास्तविक खपत	2310.19	-	1610.13	
			2) वेस्टेज (5%)	115.52	-	80.50	196.02
			3) की गई खपत	2426	-	1690.00	
21.	704पृ-55	-"-	1) वास्तविक खपत	502.90	-	15.40	
			2) वेस्टेज (5%)	25.14	-	0.77	25.21
			3) की गई खपत	528.00	-	16.00	

धर्मशाला में टाईप-II मकानों का निर्माण

				8एम.एम.	10एम.एम.	16एम.एम.	18एम.एम.	
22.	714 पृ 13	-"-	1) वेस्टेज	36.07	30.65	46.69	35.82	220.00
				20 एम.एम.	25एम.एम.			
				52.22	18.67			

कुल जोड़ 3083.00

लगातार पृष्ठ 12 पर........

— 132 —

इस प्रकार 30.83 क्विंटल सरिये को वेस्टेज दिखा कर भण्डार खातों में इस के बराबर स्क्रैप को दर्ज नहीं किया गया है । अत: 30.83 क्विंटल सरिये की कीमत जो वर्तमान समय में लगभग 1550 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मु0 47,786.00रुपये की दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों से तुरन्त वसूली की जाये । भविष्य में वेस्टेज के बराबर स्क्रैप की मात्रा को भण्डार खातों में दर्ज करने के लिये भी प्रभावी पग उठाये जायें तथा अनुपालना की अगले अंकेक्षण के दौरान जांच करवाई जाये ।

7) वर्ष 1991 में किये गये अग्रिम भुगतान के बावजूद 180 बोरी सिमेन्ट (9 मि0 टन0) की आपूर्ति प्राप्त न करना ।

वर्ष 1991 में आवास बोर्ड मण्डल, धर्मशाला द्वारा हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कारपोरेशन शिमला को मण्डल द्वारा जारी आपूर्ति आदेश संख्या डी0डी0/एच0 बी0/ एस0-1/90-2452-56 दिनांक 28.9.1991 द्वारा 45 मि0 ट0 (900 बोरी) सिमेन्ट सप्लाई करने के लिये बैंक ड्राफ्ट संख्या 158998 दिनांक 28.9.1991 द्वारा मु0 89271.00रुपये की राशि का अग्रिम भुगतान किया गया । 45 मि0 टन0 सिमेन्ट में से 27 मि0 ट0 (540 बोरी) सिमेन्ट में धर्मशाला उप मण्डल तथा शेष 18 मि0 ट0 (360 बोरी) सिमेन्ट चम्बा उप मण्डल में प्राप्त किया जाना था ।

अभिलेख / रिकार्ड की जांच पड़ताल के उपरान्त यह पाया गया गया कि चम्बा उपमण्डल में केवल 9 मि0 ट0 (180 बोरी) सिमेन्ट ही प्राप्त किया गया तथा शेष बचे 9 मि0 ट0 (180 बोरी) सिमेन्ट की आपूर्ति अंकेक्षण की अवधि (मई,96) तक प्राप्त नहीं की गई थी । इस सम्बन्ध में एम0 डी0 सिविल सप्लाई कार्पोरेशन शिमला से पत्र संख्या डी0 डी0 /एच0 बी0/ एस-1/94-3652 दिनांक 28.9.95 द्वारा किये गये पत्र व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त 180 बोरी सिमेन्ट की आपूर्ति जिसे आवास बोर्ड उपमण्डल चम्बा द्वारा प्राप्त किया जाना था, को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (H.P. P.W.D. Division Chamba) मण्डल चम्बा द्वारा प्राप्त किया गया था । इस आपूर्ति को सिविल सप्लाई कारपोरेशन शिमला या हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग डिविजन चम्बा से प्राप्त करने के लिए पिछले छ: वर्षों में आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के अधिकारियों द्वारा कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाये गये । रिकार्ड की छानबीन के अनुसार केवल 2-3 बार सिविल सप्लाई कार्पोरेशन को इस बारे साधारण पत्र लिखे गये हैं ।

अत: या तो शेष बचे 9 मि0 ट0 (180 बोरी) सिमेन्ट की अविलम्ब आपूर्ति प्राप्त की जाये या फिर वर्ष 1991 में किये गये अग्रिम भुगतान की राशि की सम्बन्धित विभाग से ब्याज सहित वसूली की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

लगातार पृष्ठ 13 पर.......

— 123 —

18. जवाहर नवोदय विद्यालय (जि0 एन0 वी0) चम्बा के भवन निर्माण कार्य के लिये ठेकेदार को वर्ष 1994-95 के दौरान दिये/जारी किये गये 188.80 घन मीटर बोल्डर स्टोन की कीमत की वसूली न करना ।

जवाहर नवोदय विद्यालय (जि0 एन0 वी0) चम्बा के भवन निर्माण के कार्य का ठेका श्री एस0 पी0 दल ठेकेदार को दिया गया था । जवाहर नवोदय विद्यालय चम्बा के निर्माण कार्य के एम0 ए0 एस0 रजिस्टर संख्या 19/93 की जांच पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि भवन के निर्माण कार्य के लिये वर्ष 1994-95 में ठेकेदार को 188.80 घन मीटर बोल्डर स्टोन दिया गया । श्री एस0 पी0 दल ठेकेदार को माह 3/95 तक ग्रुप-I तथा ग्रुप-II के भवनों के निर्माण कार्य के लिये मु0 2763562.00 रुपये (आठवां चलत बिल) तथा 34,75,825.00 रुपये (सातवां चलत बिल) की राशि का भुगतान किया गया । अंकेक्षण की अवधि तक (माह जून, 1996 तक) ग्रुप-I तथा ग्रुप-II के कार्यों के लिये इस ठेकेदार को मु0 32,72,705.00 रुपये (दसवां चलत बिल) तथा 37,68,902.00 रुपये की राशि (आठवां चलत बिल) का भुगतान किया जा चुका है ।

नियमानुसार विभागीय तौर पर उपलब्ध करवाई जाने वाली भवन सामग्री की सभी मदों की वसूली इन मदों की समय-समय पर खपत के आधार पर ठेकेदारों के चलत बिलों से करना अनिवार्य है । ताकि सरकारी धन/सम्पत्ति का अनावश्यक तौर पर किसी भी स्तर पर दुरूपयोग सम्भव न हो । अतः इस मामले में निर्गम/जारी किये गये बोल्डर स्टोन जिसे भवन निर्माण हेतु प्रयोग किया जा चुका है, की कई वर्षों तक वसूली न करने से ऐसा प्रतीत होता है कि ठेकेदार को अपरोक्ष रूप से अनावश्यक लाभ पहुंचाया जा रहा है क्योंकि अन्यथा 188.80 घन मीटर बोल्डर स्टोन की कीमत की वसूली बहुत पहले हो जानी चाहिये थी ।

अतः 188.80 घन मीटर बोल्डर स्टोन की बाजारी दर/मूल्य से तुरन्त एक मुश्त वसूली की जाये तथा नियमों की अवहेलना कर के इस राशि की उचित समय पर वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाये ।

वर्ष 1994-95 के दौरान ठेकेदार को दिये गये /जारी किये गये बोल्डर स्टोन का विवरण निम्न प्रकार से है ।

क्र0सं0	इन्डैंट संख्या व दिनांक	मात्रा	एम.ए.एस. रजिस्टर सं0
1.	2.	3	4.
1.	8402 दि0 16.8.1994	100 घन मीटर	एम.ए.एस. रजिस्टर सं0 19/93 पृष्ठ-3
2.	8441 दि0 16.1.1995	12.16 घन मीटर	——"——
3.	8445 दि0 24.2.95	76.64 घन मीटर	——"——
	जोड़	188.80 घन मीटर	

लगातार पृष्ठ 14 पर....

9. सामाजिक आवास बस्ती कांगड़ा में 29 नम्बर एच0 आई0 जी0 फ्लैटस में ठेकेदार द्वारा किये गये त्रुटिपूर्ण कार्य एवम् इन भवनों को ठेकेदार द्वारा पूर्ण करने से पहले विशेष मुरम्मत के कार्य पर किये गये मु0 113132.00रू0 की ठेकेदार से वसूली करने बारे ।

==

सामाजिक आवास बस्ती कांगड़ा में 29 नम्बर एच0 आई0जी0 फ्लैटस के निर्माण कार्य का ठेका ठेकेदार को दिया गया था । ठेकेदार द्वारा वर्ष 1994-95 तक उक्त भवनों का निर्माण कार्य पूरा न करने के कारण तथा ठेकेदार द्वारा किये गये दोषपूर्ण (defective) कार्य को ठीक करने तथा अन्य विशेष प्रकार की मुरम्मत के कार्य को पूर्ण करने के लिये आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला द्वारा वर्ष 1994में मु0 110,500/-रूपये के व्यय का अनुमान तैयार किया गया जिस की मुख्य अभियन्ता आवास बोर्ड ने पत्र संख्या एच0 बी0 (डी0 वी0) सामाजिक-कांगड़ा /94 - खण्ड-5 दिनांक 25.4.1995 द्वारा स्वीकृति प्रदान की है । अनुमान तैयार करते समय यह स्पष्ट किया गया है कि मु0 110500/-रूपये का अनुमान ठेकेदार द्वारा किये गये दोष पूर्ण कार्य को ठीक करने तथा अन्य अनेक प्रकार की कमियों को पूरा करने के लिये तैयार किया गया गया है । ("The detailed estimates has been prepared to remove the defects/short-comings of 8 nos HIS Houses and 29 No's HIS Flats.")

अनुमान के अनुसार मुरम्मत एवम् अन्य कमियों को पूरा करने के लिये निम्न प्रकार से व्यय किया जाना था :-

1) मुरम्मत 29 अदद एच0 आई0 जी0 फ्लैट - सिविल कार्य		89505.00
2) जल आपूर्ति कार्य में खराबी एवं त्रुटियों की मुरम्मत ।	-	10938.00
3) विभागीय प्रभार		10044.00
	कुलजोड़	110487.00

ठेकेदार द्वारा किये गये दोषपूर्ण कार्य को ठीक करने तथा अन्य कमियों को दूर करने का शेष कार्य जिस के लिये उक्त अनुमान विशेष तौर पर बनाया गया था अधिकांशतः विभागीय तौर पर निष्पादित करवाया गया तथा इस कार्य पर मार्च, 1995 के अन्त तक मु0 46347.00रूपये की राशि व्यय की जा चुकी थी । (लेजर पृष्ठ 55,56 व 57 वर्ष -95-96)

अनुमान के प्रथम पृष्ठ/इतिहास पन्ने के अनुसार क्योंकि यह अनुमान ठेकेदार द्वारा किये गये त्रुटिपूर्ण कार्य एवम् अन्य कमियों को दूर करने के लिये तैयार किया गया था अतः इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण व्यय की राशि की ठेकेदार से वसूली की जानी है । अतः इस सम्बन्ध में सम्म-2 पर किये गये सम्पूर्ण व्यय को ठेकेदार के खाते में डेबिट

से-57 वर्ष 94-95 तक कुल 1,13,132=00

लगातार पृष्ठ 15 पर....

करना अनिवार्य था । परन्तु अंकेक्षण की अवधि तक न तो ठेकेदार से वसूली की गई थी तथा न ही उस के बारे में व्यय की गई राशियों को डेबिट किया गया था जो कि एक अति गम्भीर अनियमितता है । अतः दोषपूर्ण कार्य को ठीक करने के लिये तैयार किये गये अनुमान के एवज में किये गये कुल व्यय की ठेकेदार से तुरन्त वसूली की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये ।

III) दोषपूर्ण (defective) कार्य के निष्पादन के लिये पर्यवेक्षण कार्य के लिये तैनात मण्डल के कर्मचारियों /अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने बारे ।

उपरोक्त पैरा में वर्णित 29 नम्बर एच0 आई0 जी0 काम्प्लैक्स का निर्माण कार्य आवास बोर्ड मण्डल द्वारा तैनात कनिष्ठ अभियन्ता एवम् सहायक अभियन्ता के पर्यवेक्षण में किया गया था । अतः जब ठेकेदार द्वारा मकानों का निर्माण कार्य अपेक्षित स्तर/मान दण्ड के अनुरूप निष्पादित नहीं किया गया था तब उसे ऐसी मदों का भुगतान क्यों किया गया गया था । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि मण्डलीय कर्मचारियों/ अधिकारियों की लापरवाही के कारण ठेकेदार मनमाने ढंग से कार्य करता रहा जो कि अपेक्षित स्तर से निम्न स्तर का था तथा जिसे विभाग ने बाद में स्वयं ही दोषपूर्ण (defective) करार कर दिया । इस गम्भीर अनियमितता बारे दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही के अतिरिक्त इस बारे वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये ।

10) नूरपुर में 29 नम्बर मकानों के निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा किये गये दोषपूर्ण/ अधूरे कार्य को पूरा करने के लिये आवास बोर्ड द्वारा 31.3.95 तक किये गये मु0 113672.00रूपये के व्यय की वसूली करनेबारे।

नूरपुर में 29 नम्बर मकानों के निर्माण कार्य का ठेका मु0 2730203.26 रूपये में अधिनिर्णय/ अवार्ड पत्र संख्या-डी0डी0/एच0बी0/ ए0बी0/टैन्डर/ नूरपुर/ 90-314-19 दिनांक 7.5.90 द्वारा मैसर्ज कटारिया बिल्डर्ज पठानकोट को दिया गया था ।

तेईसवें चलत बिल तक मैसर्ज कटारिया बिल्डर्ज को माप पुस्तिका संख्या 677/93 पृष्ठ -76 के अनुसार मु0 2641159.00 रूपये की राशि का भुगतान किया गया । तत्पश्चात ठेकेदार द्वारा कार्य समय पर पूर्ण न करने एवम् अनुबन्ध की शर्तों की अवहेलना करने के कारण पत्र संख्या डी0डी0/एच0बी0/ए0बी0/ मैमों-94/3639-41 दिनांक 14.11.94 द्वारा इस कार्य को रिसाईन्ड कर दिया गया । अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अवार्ड राशि के 10% के बराबर मु0 273020.00 रूपये की राशि का मुआवजा compensation लगाया गया । इस के अतिरिक्त पत्र संख्या डी0 डी0/ एच0 बी0/ए0 बी0/ मैमों / 4611-13 दिनांक 24.12.94 द्वारा ठेकेदार से उस के चलत बिलों से काटी गई प्रतिभूति के रूप में जमा मु0 एक लाख रूपये की राशि को भी जब्त (forefeit) कर दिया गया ।

लगातार पृष्ठ 16 पर...

-126-

कार्य को रिसाइन्ड करने के उपरान्त निर्माधीन/ठेकेदार द्वारा अधूरे छोड़े गये कार्य का बोर्ड के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न मकानों में ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य दोषपूर्ण पाया गया , तथा बहुत सा किया गया कार्य आंशिक रूप से अधूरा था । दोषपूर्ण/अधूरे/छोड़े गये कार्य को आवास बोर्ड मण्डल द्वारा विभागीय तौर पर निष्पादित किया गया । माह 3/95 तक इस दोषपूर्ण/ अधूरे/छोड़े गये कार्य को पूरा करने के लिये मु0 113672.0 रुपये की राशि तथा माह 3/96 तक मु0 134157.00रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है ।

निरीक्षण रिपोर्ट के मुताबिक ठेकेदार द्वारा निष्पादित करवाई गई बहुत सी मदों का कार्य दोषपूर्ण पाया गया तथा कुछ मदों का कार्य आंशिक रूप से अधूरा था । अतः निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शाई गई इन त्रुटियों की ठेकेदार के चलत बिलों से किन के द्वारा इन मदों का भुगतान किया गया था , से जांच करवाई जाये तथा इस बारे स्पष्ट किया जाये कि चलत बिलों में किस प्रकार दोषपूर्ण एवम् आंशिक रूप से अधूरी मदों का किस ढंग से भुगतान किया गया था । अगर इन मदों का भुगतान पूर्ण देय राशि के लिये कर दिया गया था तो कार्य के सीधे तौर पर निरीक्षण के लिये जिम्मेदार स्टाफ एवम् भुगतान को अनुमोदित/सत्यापित करने वाले कर्मचारियों/ अधिकारियों के विरुद्ध उस लापरवाही के लिये उचित कार्यवाही की जाये । क्योंकि अगर कार्य अपेक्षित मापदण्डों के अनुरूप निष्पादित नहीं किया गया था तथा जो कार्य अधूरा था उस का ठेकेदार को पूर्ण भुगतान नहीं किया जाना चाहिये था । अतः दोषपूर्ण/ अधूरे कार्य का ठेकेदार को भुगतान करने के लिये सभी कारणों की पूरी छानबीन की जाये तथा दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए कार्य को पूर्ण/ठीक करने के लिये आवास बोर्ड मण्डल द्वारा जो मु0 134157.00 रुपये की राशि माह 3/96 तक (माह 3/95 तक 113672.00 रुपये) व्यय की जा चुकी है की ठेकेदार से वसूली की जाये तथा इस के अतिरिक्त मुआवजे की मु0 273020.00 रुपये की राशि की भी तुरन्त वसूली की जाये तथा अनुपालना की अगले अंकेक्षण के दौरान जांच करवाई जाये ।

11) सिमेन्ट की खुले बाजार से खरीद करने से वर्ष 1994-95 में लगभग मु0 80,000/-रुपये की आवास बोर्ड को हानि ।

===

वर्ष 1994-95 के लेखाओं की जांच पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला में सिमेन्ट की खरीद करते समय न तो सरकारी आदेशों की पालना की गई तथा न ही सिमेन्ट जैसी महत्वपूर्ण मद की खरीद के लिये किफायती क्रय निति अपनाई गई । हिमाचल सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सभी सरकारी एवम् हिमाचल सरकारी निगमों/संस्थानों द्वारा सिमेन्ट की खरीद हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कारपोरेशन शिमला जिस को सरकार द्वारा वर्ष 1994-95 के लिये दर संविदा भी स्वीकृत की गई थी के माध्यम से सीधी सिमेन्ट फैक्टरी दरलाघाट से करना अपेक्षित थी ।

लगातार पृष्ठ 17 पर.....

— 127 —

दर संविदा का सिमेन्ट सभी प्रभारों सहित खुले बाजार के सिमेन्ट से औसतन 8 रुपये से 10 रुपये प्रति बोरी सस्ता था ।

जांच परीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि निर्माणाधीन कार्यों की वास्तविक/अपेक्षित आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुये सिमेन्ट की खरीद के लिये नियोजित नीति तैयार नहीं की गई तथा कुछ मामलों में जब सिमेन्ट की वास्तविक तौर पर आवश्यकता नहीं थी तब भी सिमेन्ट खुले बाजार से खरीद कर कई महीनों तक भण्डार में रखा गया जब कि इस अवधि के दौरान दर संविदा का सिमेन्ट आसानी से प्राप्त/उपलब्ध हो सकता था । अतः खुले बाजार से सिमेन्ट की ऊँची दरों पर खरीद करना एक अति गम्भीर अनियमता है क्यों कि इस लापरवाही पूर्वक कार्यशैली से न केवल आवास बोर्ड को भारी आर्थिक हानि हो रही है अपितु इस गलत/गैर किफायती क्रय नीति के कारण निर्माणाधीन भवनों की लागत/कीमत में प्रचुर/पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

सिमेन्ट की खुले बाजार से खरीद के कारणों को कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि समय-2 पर विभिन्न कार्यों पर सिमेन्ट की आवश्यकताओं का पूर्ण अनुमान नहीं लगाया गया तथा तुरन्त आवश्यकताओं की पूर्ती हेतु सिमेन्ट की खुले बाजार से खरीद की गई ।

अतः इस सम्पूर्ण मामले की विभागीय तौर पर पूरी छानबीन की जाये कि इस महत्वपूर्ण खरीद के मामले में सरकारी आदेशों का उल्लंघन करके सिमेन्ट को खुले बाजार से ऊँची दरों पर खरीदने के वास्तविक तौर पर क्या कारण थे । खुले बाजार से खरीदे गये सिमेन्ट की दरों की दर संविदा की दरों से तुलना की जाये तथा इस सम्बन्ध में पूर्ण अभिलेख तैयार किया जाये तथा कुल हानि की राशि का पता लगाया जाये तथा इस की दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से तुरन्त वसूली की जाये तथा भविष्य में ऐसी दोषपूर्ण कार्यवाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिये भी तुरन्त प्रभावी पग उठाये जाये ।

खुले बाजार से खरीदे गये सिमेन्ट के जो मामले जांच परीक्षण के दौरान सामने आये उन का विवरण निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	जी०आर० संख्या व दिनांक	खरीदी गई मात्रा	टिप्पणी
1	2	3	4
		उप-मण्डल बस्सा	
1-			
1-	2089 दिनांक 13-7-94	1000 बोरी	क्रय दर 132 रु०प्रति बोरी
2-	2090 दि० 19-9-94	240 बोरी	" 137/=रुपये
3-	2091 दि० 26-9-94	100 बोरी	" 137/=
4-	2092 दि० 29-9-94	240 बोरी	" 137/=
5-	2093 दि० 1-10-94	420 बोरी	" 137/=
6-	2094 दि० 9-12-94	940 बोरी	" 137/=
7-	2095 दि० 16-2-95	440 बोरी	" 137/=
8-	2098 दि० 22-2-95	620 बोरी	" 137/=
9-	2353 दि० 31-3-95	1889 बोरी	" 145/=प्रतिबा

लगातार पृष्ठ 18 पर....

[illegible] का नाम अनियमितता का विवरण अधिक भुगतान

 — 128 —

2) धर्मशाला उपमण्डल

10. 4600 दि0 13. 1. 95 200 बोरी . 133 रूपये प्रति बोरी

3) उपमण्डल पालमपुर / किन्नौराजन

11. 2304 दि0 24. 11. 94 400 बोरी इशू दर 134 रूपये ।
नोट:-
जी0 आर0 संख्या 2302व 2305 दि0 31. 8. 9 व 16. 12. 94 द्वारा बरमाणा से सिमेन्ट की खरीद की गई तथा इस का Issue Rate 122 रू0 व 123रू0 प्रतिबोरी था अतः खुले बाजार से खरीदा गया सिमेन्ट 11-12रूपयेप्रति बोरी मंहगा था ।

12. 2308 दि0 7. 2. 95 360 बोरी इशू दर =132 रू0 प्रतिबोरी
13. 2309 दि0 10. 3. 95 360 बोरी इशूदर=140रू0 प्रतिबोरी ।
नोट:-
जी0 आर0 सं0 2310 व 2311 दि0 13. 3. 95 व 14. 3. 95 द्वारा सिमेन्ट बरमाणा से खरीदा गया तथा तथा इस का प्रतिबोरी Issue Rate कुल 124रू0 प्रतिबोरी था अतः 10. 3. 95 को खरीदा गया सिमेन्ट 16 रूपये प्रति बोरी मंहगा था ।

4) उपमण्डल पपरोला

14. 2290 दि0 2. 12. 94 100 बोरी इशूदर 129/-रूपये प्रतिबोरी
15. 2293 दि0 19. 12. 94 300 बोरी " " 129. 50 प्रतिबोरी
नोट:- इस अवधि के दौरान बरमाणा से प्राप्त सिमेन्ट की इशूदर 121 रूपये प्रतिबोरी थी ।
(सन्दर्भ जी0आर0सं02291 व 2292)

16. 2293 दि0 19. 12. 94 300 बोरी इशूदर 129 रू0 प्रतिबोरी ।
नोट:- जी0 आर0सं02293 दिनांक 19. 12. 94 द्वारा खरीदे गये सिमेन्ट को माह जनवरी व फरवरी में प्रयोग हेतु भण्डार से जारी/निर्गम

लगातार पृष्ठ 19 पर... ...

किया गया । अतः माह फरवरी तक सीमेन्ट दर संविदा की फर्म से उपलब्ध हो सकता था जो कि 121 रुपये प्रति बोरी पड़ रहा था ।

5) उपमण्डल देहरा

17. 4721 दि0 31. 1. 95 — 200 बोरी — इस दर 120 रुपये प्रतिबोरी (बिना 3% विभागीय प्रभार)

4722 दि0 27. 3. 95 — 144 बोरी — " 129 रुपये "

जोड़ 8253 बोरी

12) स्टील सरिये का गलत कन्वर्शन फैक्टर लगा कर की गई 2. 93 क्विंटल अधिक स्टील/सरिये की लगभग 4542/-रुपये की वसूली करने बारे ।

सिद्धबाड़ी (धर्मशाला उपमण्डल) में शिक्षा बोर्ड के लिये बनाये जा रहे । नम्बर टाईप-5 भवन के निर्माण कार्य में वास्तविक खपत के आधार पर रनिंग मीटरों में मापी गई 8 एम.एम. व 10 एम. एम. सरिये की मात्रा को किलोग्रामों में बदलने के लिये गलत कन्वर्शन फैक्टर लगाया गया । 10 एम. एम. व 8 एम.एम. सरिये के लिये नियमानुसार 0.62 व 0.39 किलोग्राम की दर से प्रतिरनिंग मीटर फैक्टर लगना था जब कि 0.68 व 0.49 किलोग्राम प्रति रनिंग मीटर का फैक्टर लगाया गया है तथा इस प्रकार 261.80 रनिंग मीटर 10 एम0 एम0 तथा 2767.80 रनिंग मीटर 8 एम0 एम0 के सरिये की खपत/कन्वर्शन करते समय 2.93 क्विंटल अधिक सरिये की खपत दर्शाई है जिस का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है ।

माप पुस्तिका सं. व पृष्ठ	रनिंग मीटरों में सरिये की खपत की मात्रा	लगाया गये फैक्टर	खपत	फैक्टर जो सही लगाना चाहिये था ।	खपत	अधिक खपत की मात्रा	टिप्पणी
2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.
	1) 10एम. एम.						
756/95-पृ-26	261.80 रनिंग मी.	0.68	178.02 कि. ग्रा.	0.62	162.31 कि0ग्रा.	15.71	8 कि. ग्रा. फैक्टर अधिक लगाया गया है ।
	2) 8 एम.एम.						
756/95पृ-26	2767.80 रनिंग मी.	0.49	1356.22	0.39	1079.13	277.09	10 कि. ग्रा. फैक्टर अधिक लगाया है
					जोड़	292.80	
					या 293 कि0 ग्रा0		

लगातार पृष्ठ 20 पर........

— 130 —

उक्त सरिया अन्य सरिये की मात्रा के साथ एम.ए0 एस. संख्या 12/93 के पृष्ठ -37 से जारी किया गया है । इसी कार्य में माप पुस्तिका संख्या 748/95 पृष्ठ संख्या 12 पर दर्ज की गई 10 एम.एम. व 8 एम.एम. सरिये की 403.33 रंनिग मीटर व 155.80 रंनिग मीटर स्टील की मात्रा को किलोग्रामों में बदलने के लिये क्रमशः 0.62 व 0.39 कि0ग्रा0 प्रति रंनिग मीटर का फैक्टर लगाकर 250 किलोग्राम व 61 किलोग्राम सरिये की खपत की गई है, जो कि ठीक है । यह मात्रा भी पृष्ठ 37 में दर्ज मात्रा से निर्गम की गई थी । अतः एक ही पृष्ठ पर दर्ज स्टील के लिये दो अलग-2 कन्वर्शन फैक्टर लगा कर सरिये की गलत ढंग से खपत दर्शाना एक अति गम्भीर अनियमता का मामला है जिस की विभागीय तौर पर छानबीन की जाये तथा दोषी कर्मचारी /अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाये । इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इस प्रकार गलत ढंग से किसी अन्य कार्य में भी सरिये की अधिक खपत नहीं की गई है ।

2.93 क्विंटल सरिये की दोषी कर्मचारी /अधिकारी से वर्तमान बाजारी मूल्य जो लगभग 1550 रुपये है की दर से रु0 4542.00 रुपये की वसूली की जाये तथा अनुपालना की अगले अंकेक्षण के दौरान जांच करवाई जाये ।

13. बिजली के ठेकेदार से 30 बोरी सिमेन्ट के मूल्य की वसूली न करना ।

जवाहर नवोदय विद्यालय पपरोला के लिये निर्माणाधीन 6 नम्बर डारमेटिज तथा 16 नम्बर स्टाफ क्वार्टर्ज के बिजली के कार्य को पूर्ण करने हेतु आवास बोर्ड भण्डार पपरोला से कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के माध्यम से इन्डैन्ट संख्या 4 दिनांक 25.11.94 द्वारा श्री के0 के0 इन्डस्ट्रीज धर्मशाला (बिजली के ठेकेदार) को 15.3.95 को 30 बोरी सिमेन्ट दी गई/जारी की गई ।

इन्डैन्ट में यह स्पष्ट किया गया था कि यह सिमेन्ट बिजली के कार्य को निष्पादित करते समय पड़े पैचज (Patches) को ठीक करने के लिये चाहिये था ।

अनुबन्ध के अनुसार बिजली के ठेकेदार को आवास बोर्ड के भण्डार से सिमेन्ट उपलब्ध करवाने की कोई शर्त नहीं थी । अतः आवास बोर्ड के भण्डार से जारी की गई 30 बोरी सिमेन्ट की ठेकेदार से निर्गम के समय में लागू/ तत्काल वास्तविक मूल्य की दर से तुरन्त वसूली की जाये । इस के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाये कि बिजली के ठेकेदारों को दिये/जारी किये गये उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सामान कीमत की वसूली भी कर ली गई तथा अनुपालना की अगले अंकेक्षण के दौरान जांच करवाई जाये ।

2) इस के अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिये कि बिजली के कार्य से सम्बन्धित पैच (Patch) वर्क के लिये वास्तविक तौर पर कुल 30 बोरी सिमेन्ट की आवश्यकता थी, सिमेन्ट की खपत की विवरणी की

अगले अंकेक्षण के दौरान जांच पड़ताल करवाई जाये क्योंकि यह मात्रा (30 बोरियों की खपत) अधिक प्रतीत होती है । अन्यथा सिमेन्ट की सम्पूर्ण मात्रा की पेनल दर से वसूली की जाये क्योंकि किसी भी दशा में विभाग द्वारा जारी किये गये सिमेन्ट को अन्यत्र उपयोग में नहीं लाया जा सकता है ।

14) खुले बाजार से सिमेन्ट की खरीद में लापरवाही करते जाने के कारण मु0 1152/-रूपये के अधिक भुगतान की वसूली करने बारे ।

उपमण्डल देहरा में सिविल सप्लाई कारपोरेशन डिपू से बाजारी मूल्य पर 18 मि0 ट0(360बोरी) सिमेन्ट की आपूर्ति के लिये चैक संख्या 806028 दिनांक 18.1.1995 को अग्रिम भुगतान किया गया । इस अग्रिम भुगतान के फलस्वरूप जी0 आर0 संख्या 4721 दिनांक 31.1.95 व 4722 दिनांक 27.3.95 द्वारा क्रमश: 200 बोरियां व 144 बोरियां सिमेन्ट की आपूर्ति प्राप्त की गई ।

जी0 आर0 संख्या 4721 दिनांक 31.1.95 द्वारा खरीदे गये सिमेन्ट का मूल्य 116.30 रूपये प्रति बोरी तथा जी0 आर0 संख्या 4722 दिनांक 27.3.95 द्वारा खरीदे गये सिमेन्ट का मूल्य 124.30 रूपये प्रति बोरी था । यदि यह सारा सिमेन्ट 31.1.95 को खरीद लिया होता तो निश्चय ही (144x8=1152.00) मु0 1152 रूपये की राशि का कम भुगतान करना पड़ता था क्योंकि इस सारी खरीद के लिए 18.1.1995 को अग्रिम भुगतान किया जा चुका था ।

2) सिमेन्ट की कीमत में 8 रूपये प्रति बोरी की बढ़ौतरी के एवज में मण्डल द्वारा कोई भी छानबीन नहीं की गई तथा न हीं इन दरों बारे सम्बन्धित फर्म से इस के प्रमाण में नवीन लागू दरों बारे दस्तावेज प्राप्त किये गये । अत: सिमेन्ट की मूल दरों में 8 रूपये प्रति बोरी की वृद्धि किये जाने बारे आदेशों की जांच करवाई जाये व ऊंची दरों पर भुगतान का पूर्ण औचित्य दिया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली दोषियों से शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

15) स्टील की ढुलाई में किये गये अधिक भुगतान की वसूली करने बारे ।

आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान अधिकांश स्टील मैसर्ज सूद स्टील इन्डस्ट्रीज कन्दरोड़ी से खरीदी गई । जांच परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि स्टील की ढुलाई का भुगतान करते समय पूरी सतर्कता नहीं बरती गई है तथा स्टील की एक ही स्थान पर ढुलाई करने के लिये अलग-2 दरों पर भुगतान किया गया है जो कि ठीक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि सरकार द्वारा समय-2 पर अनुमोदित ढुलाई की दरों में केवल 10 दिनों के भीतर तीन बार परिवर्तन नहीं किया किया जा सकता है ।

लगातार पृष्ठ 22 पर. .....

3.6.1994 से 13.6.1994 तक के दौरान जे0 एन0 वी0 पपरोला के लिये खरीदी गई स्टील की ढुलाई के लिये तीन अलग=2 दरों पर भुगतान किया गया है ।

अतः वर्ष 1994-95 के दौरान कन्दरौड़ी से विभिन्न स्थानों तक स्टील की ढुलाई के लिये जिलाधीश कांगड़ा/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित ढुलाई की दरों बारे पूरी छानबीन की जाये तथा इस सम्बन्ध में पूर्ण अभिलेख को अगले अंकेक्षण के दौरान जांच पड़ताल करवाई जाये तथा उन सभी मामलों में जहां तय की गई दरों की बजाय उच्च दरों पर ढुलाई का अधिक भुगतान किया गया है की दोषी कर्मचारियों से वसूली की जाये ।

जांच परीक्षण के दौरान पाये गये ऐसे विभिन्न मामलों में से उदाहरणार्थ कुछ का विवरण निम्न प्रकार से है ।

क्र0सं0	जी0आर0 सं0 व दिनांक	ढुलाई की गई स्टील की मात्रा	ढुलाई का स्थान	ढुलाई की दर जिस पर भुगतान किया गया ।
1.	2.	3.	4.	5.
1.	2279 दि0 3.6.94	9.675 मि.ट.	कन्दरौरी से पपरोला	236.00रू0 प्रति मि0ट0
2.	2280 दि0 8.6.94	9.890 "	——"——	242.16रूपये प्रति मि0ट0
3.	2281 दि0 13.6.94	9.620 "	——"——	238/-रू0प्रति मि0ट0 ।
4.	2282 दि0 13.6.94	8.875 "	——"——	238/-रू0 "
5.	2287 दि0 16.7.94	9.450 "	——"——	264.55रूपये -

16) सिमेन्ट की उतराई(Unloading) के रूप में किये गये अनुचित भुगतान की वसूली करने बारे ।

आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर आरम्भ किये गये कार्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वर्ष 1994-95 के दौरान हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन शिमला (जिस की हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दर संविदा भी है) तथा स्थानीय विक्रेताओं से सिमेन्ट की खरीद की गई । इस के अतिरिक्त तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सिमेन्ट को एक उपमण्डल से दूसरे उपमण्डल तथा एक कार्य स्थल से दूसरे कार्य स्थल पर भी ले जाया गया ।

सामान्यतः सिमेन्ट की खरीद हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कारपोरेशन , जिस की दर संविदा था, से की जानी अपेक्षित थी । परन्तु वर्ष 1994-95 के दौरान अधिकांश मामलों में सिमेन्ट की खरीद

लगातार पृष्ठ 23 पर........

खुले बाजार से की गई । खुले बाजार से खरीदा गया सिमेन्ट औसतन 6रू0 से 8 रूपये प्रति बोरी महंगा था । वर्तमान अंकेक्षण के दौरान उठाई गई अनेक आपत्तियों की अधिशाषी अभियन्ता से विस्तारपूर्वक चर्चा के दौरान सिमेन्ट की खुले बाजार से खरीदकरने बारे भी मामला उठाया गया था । अधिशाषी अभियन्ता ने चर्चा के दौरान यह स्पष्ट किया कि खुले बाजार से सिमेन्ट की खरीद उन्हीं परिस्थितियों में की गई थी जब सिमेन्ट की कार्य निष्पादन के लिये अति आवश्यकता थी तथा अगर सिमेन्ट की तुरन्त खरीद न की जाती तो निश्चय ही निर्माणाधीन कार्यों की गति प्रभावित हो सकती थी ।

जांच परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि खुले बाजार से ख खरीदा गया तथा अन्य कार्यों स्थलों से लाया गया सिमेन्ट या तो खरीद एवम् ढुलाई के ही दिन या दूसरे दिन ठेकेदारों को निर्गम /जारी कर दिया गया था । रिकार्ड के अनुसार सिमेन्ट की इस मात्रा को पहले विभाग के भण्डार में उतारा गया दिखाया है तथा फिर इस सिमेन्ट को ठेकेदारों को निर्गम किया गया था जो कि ठीक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि सिमेन्ट की कार्यों पर अतिआवश्यकता थी तो खुले बाजार एवम् अन्य कार्यों से लाये गये सिमेन्ट के मामले में सिमेन्ट को पहले विभागीय भण्डार में उतार कर फिर दौबारा वहाँ से सिमेन्ट की लदाई कर के कार्य स्थल तक ले जाना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है अतः ऐसा अनुमान है कि यह सारा सिमेन्ट कार्या सम्बन्धित भण्डारों जिस पर ठेकेदार एवम् विभाग का साझा नियन्त्रण होता है में उतारा गया प्रतीत होता है ।

अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को सिमेन्ट विभाग के भण्डार से निर्गम किया जाना था । लेकिन उक्त मामलों में क्यों कि सिमेन्ट सीधा कार्यों के भण्डारों में उतारा गया था अतः सिमेन्ट की लदाई व उतराई की ठेकेदारों से वसूली की जाये तथा अगर विभागीय भण्डार तथा कार्यों के भण्डारों में दूरी अधिक थी तो इस दूरी की ढुलाई के लिये विभाग द्वारा किये गये व्यय की भी ठेकेदारों से वसूली की जाये । अगर सिमेन्ट ठेकेदारों द्वारा स्वयं अपने मजदूरों द्वारा उतरवाया ( ) गया था तो विभाग द्वारा किये गये इस सम्बन्ध में व्यय का पूर्ण औचित्य दिया जाये तथाअनुचित भुगतान की दोषी से वसूली की जाये जांच अंकेक्षण के दौरान प्रकाश में आये मामलों का विवरण निम्नवत है ।

जी0आर0संख्याव दि0 जिस के द्वारा सिमेन्ट प्राप्त हुआ ।	खरीदी प्राप्त की गई मात्रा (बोरियों में)	इन्डेन्ट संख्या व दिनांक जिस के द्वारा सिमेन्ट निर्गम किया गया ।	निर्गम की गई मात्रा (बोरियों में)	टिप्पणी
2.	3	4	5.	6.
1) बिन्द्रावन (पालमपुर उपमण्डल)				

लगातार पृष्ठ 24 पर.......
लगातार पृष्ठ 27 पर........

2.	3.	4.	5.	6.
18 दि0 27.6.94	360	8320 दि0 27.6.94	200	जब सिमेन्ट की कार्य पर आवश्यकता थी तभी विभागीय भण्डार भी उसी स्थानपर था जब ऐसी अवस्था में एक ही दिन में सिमेन्ट का पहले विभाग के के भण्डार में उतारना तथा फिर ठेकेदार को निर्गम किया गया दिखाना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है अतः अनुचित भुगतान की वसूली के साथ इस बारे सही वस्तुस्थिति का पता लगाने बारे बारे विभागीय तौर पर छानबीन की जाए
23 दि0 20.8.94	720	8326 व 8327 दि0 20.8.94	500	
01 दि0 19.10.94	200	8333व8334 दि0 19.10.94	220	
02 दि0 31.10.94	900	8551 दि0 31.10.94		
		8552 दि0 1.11.94	45	
		8335 से 8337 दि0 1.11.94	200	
404 दि0 24.11.94	400	8341 दि0 24.11.94	560 / 400	
305 दि0 16.12.94	900	8555 दि0 16.12.94	360	
		8343 दि0 16.12.94	540	
307 दि0 4.2.95	180	8558 दि0 4.2.95	180	
नोट:- 180 बोरी सिमेन्ट पचरोला से लाया गया ।				
2308 दि0 7.2.95	360	8559 दि0 8.2.95	360	
मारण्डा से खरीदा गया था ।				
2309 दि0 10.3.95	360	8561व8562 दि0 10.3.95	360	
(राजपुर (पालमपुर) से खरीदा गया था)				

17. अन्तरण प्रविष्टियां (Transfer Entries)

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 1994-95 में विभिन्न प्रकार की भवन सामग्री जैसे स्टील व सिमेन्ट आदि एक कार्य से दूसरे कार्य के प्रयोग के लिये जारी/इशू की गई । नियमानुसार भवन सामग्री की मात्रा का उस के अन्तिम प्रयोग के आधार पर उसी कार्य में उस का व्यय पड़ना चाहिये जिस में उस का वास्तविक तौर पर प्रयोग हुआ हो । अतः निम्न मामलों में स्टील/सिमेन्ट की वास्तविक प्रयोग के आधार पर अन्तरण प्रविष्टियां तैयार की जाये तथा व्यय वास्तविक प्रयोग के आधार पर सम्बन्धित कार्यों में डाला जाये तथा अनुपालना की अगले अंकेक्षण के दौरान जांच करवाई जाये ।

लगातार पृष्ठ 25 पर....

लगातार पृष्ठ 27 पर.......

इन्डैंट सं0/एम.ए.एस. का विवरण व दिनांक	कार्य का नाम जिस से सिमिन्ट/स्टील इशु की गई।	कार्य का नाम जिस के लिये सिमिन्ट/स्टील जारी की गई।	विवरण एवं मात्रा	टिप्पणी
एम.ए.एस. पृ-2 माह 6/94	21 नम्बर कैटीगरी-II विन्द्रावन।	25 नम्बर कैटीगरी -II विन्द्रावन।	0.023 कि.ग्रा. स्टील	
इन्डैंट संख्या के0 एम.एस.एच. वी0 8328 दि0 19.9.94	18 नम्बर कैटीगरी -I विन्द्रावन	32 नम्बर कैटीगरी- III विन्द्रावन।	4.850 एम.टी. स्टील।	12 एम.एम. = 2.00 8" " = 2.00 10 " " = 0.850 जोड़ 4.850 एम.टी.
एम.ए.एस.सं. 14 उपमण्डल=धर्मशाला इन्डैन्ट सं0 8299 दिनांक 10.1.95	कार्य का नाम नहीं लिखा है।	कार्य का नाम नहीं लिखा है।	31 बोरी सिमिन्ट	
8652 दि0 3.2.95	----"----	----"----	4 बोरी सिमिन्ट	
दिनांक 3.2.95	----"----	----"----	3+9=12 बोरी सिमिन्ट।	इन्डैंट सं. एम.ए.एस. में दर्ज नहीं थी।
8165 दि. 28.11.94	उपमण्डल धर्मशाला	उपमण्डल धर्मशाला	झूले व लोहे के बैन्च।	

18) सिमिन्ट की खपत के रजिस्टरों को आडिट में प्रस्तुत न करना।

विभिन्न कार्यों में समय-समय पर की गई खपत को सिमिन्ट रजिस्टरों में दर्ज किया जाता है। माप पुस्तिकाओं में की गई रिकार्ड प्रविष्टियों के मुताबिक सिमिन्ट की जांच हेतु इन रजिस्टरों को आडिट में प्रस्तुत करने हेतु बार-2 अनुरोध किया गया। पालमपुर उपमण्डल द्वारा इस बारे लापरवाही बरती जाने के कारण इस उपमण्डल के सिमिन्ट रजिस्टरों की जांच बिल्कुल भी सम्भव नहीं हो सकी। अतः सिमिन्ट रजिस्टरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे पूर्ण औचित्य दिया जाये तथा इस महत्वपूर्ण अभिलेख की जांच अगले अंकेक्षण के दौरान करवाने हेतु पग उठाये जायें।

लगातार पृष्ठ 26 पर.......

लगातार पृष्ठ 27 पर.......

—136—

19) **आवास बस्ती पालमपुर के मकान/प्लाट मालिकों तक मार्च 1995 तक 1,32,887 रुपये की राशि के रख-रखाव के रूप में वसूली न करना ।**

आवास बोर्ड की पालमपुर की बस्ती से प्राप्त होने वाले रख-रखाव प्रभार का कोई भी अभिलेख मण्डल कार्यालय में नहीं रखा गया है जिस का समय-समय पर अवलोकन/जांच करने के उपरान्त लम्बित पड़ी प्रभार के रूप में वसूल की जाने वाली राशियों की वसूली के लिये मण्डल स्तर पर प्रयास किए जा सके या जिस के आधार पर सम्बन्धित उपमण्डल को इन वसूलियों को तुरन्त या नियोजित ढंग से वसूल करने के निर्देश दिए जा सके । इस के अतिरिक्त आवास बोर्ड मण्डल के कार्यालय में किस वित्तीय वर्ष में कितनी वसूलियां की गई व कितनी वसूलियां शेष है का पूर्ण अभिलेख खातों में दर्ज करना अपेक्षित है तथा यह सूचना वार्षिक लेखों में भी दर्ज करना भी अनिवार्य है क्योंकि सम्पूर्ण डेबिटर्ज तथा क्रेडिटर्ज का तभी पता चल सकेगा । उपमण्डल पालमपुर द्वारा रखे गये रख-रखाव के खाते की जांच के दौरान यह पाया गया कि 31.3.95 तक पालमपुर बस्ती के मकान/प्लाट मालिकों से लगभग 132887 रुपये की वसूलियां शेष थी तथा कुछ मकान/प्लाट मालिकों से इस प्रभार को लागू करने की तिथि से अंकेक्षण की अवधि तक किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की गई थी । रिकार्ड की छानबीन करने के उपरान्त ऐसा प्रतीत होता है कि इतनी बड़ी राशियों को वसूल करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे है । अतः शेष प्रभार की राशियों की वसूली हेतु समुचित कार्यवाही अमल में लाई जाए । 31.3.95 तक इस प्रभार की शेष राशियां, जो वसूल करनी है का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	नाम	प्लाट/मकान नं०	राशि (रु० में)
1.	श्री ओ० पी० सूद	एच.आई.जी. -4	1414
2.	श्री एस. सी. व्यास	" " -6	462
3.	श्री हिमाल चन्द कटोच	" " -7	2699
4.	श्री गैण्ड लाल	एम.आई.जी. प्लाट-8	781
5.	श्री जी. पी. शर्मा	" " -11	2779
6.	श्री राजिन्दर सिंह	" " -12	1921
7.	श्री पी. सी. ओखल	" " -14	650
8.	मेजर गोबिन्द नाथ	" " -15	1211
9.	श्री नवीन कुमार	" " -16	1921
10.	डा० एन. पी. कश्यप	" " -19	1475
11.	श्रीमति आदर्श	" " -20	232
12.	" चंचल सूद	" " -37	3225
13.	" जगतम्बा देवी	" " -38	1878
14.	डा. जी. सी. अग्रवाल	" " -45	4176
15.	डा. के. के. परमार	" " -52	1916
16.	श्रीमति प्रोमिला सूद	एल.आई.जी. प्लाट-53	876
17.	श्री जे. के. सूद	" " -54	520

लगातार पृष्ठ 27 पर......

18.	श्री राम प्रकाश नागपाल	एल. आइ. जी. फ्लैट-55	446
19.	श्री आर. सी. गुप्ता	" " -56	1920
20.	श्रीमति जय देवी	" " -57	446
21.	श्री एच. एल. धीमान	" " -58	1319
22.	श्री मति विमला कटोच	" " -59	1319
23.	" रजनी वालिया	" " -60	831
24.	" इन्दिरा सूद	"... " -89	405
25.	कोओरडीनेटिंग डारेक्टर सी. एस. आइ. आर. पालमपुर	एम आइ. जी. मकान 21 से 31	30600
26.	मुख्य अभियन्ता (बी. एण्डआर) हि0 प्र0 लो0 नि0 विभाग, धर्मशाला	" -394042	12651
27.	कोओरडीनेटिंग निदेशक सी. एस. आइ. आर. पालमपुर	एम आइ. जी. -44	4108
28.	श्री आर. पी. एस. कटवाल	" -46	4173
29.	निदेशक, सी. एस. आइ. आर. जम्मू-तवी	" " -47,48	8345
30.	ले0 कर्नल अशोक मल्होत्रा	" " -50	4173
31.	श्री राजीव गम्भीर	" " -33	650
32.	श्री पी. एस. मनकोटिया	" " -34	217
33.	श्रीमति चन्द्रकान्ता	" " -35	2782
34.	मुख्य अभियन्ता (बी. एण्ड आर) धर्मशाला।	एल. आइ. जी. -6 से 68	7520
35.	श्री परविन्दर वीर सिंह	" " -83	1319
36.	श्री आर. के. सूद	" " -84	446
37.	निदेशक, क्षेत्रिया रिसर्च लेबोर्ट्री, जम्मु तवी।	" - 87,88,90 से 93	11448
38.	मुख्यअभियन्ता (बी एण्ड आर) धर्म शाला।	"एच. आई. जी. -2-3	8730
39.	श्री मनोहर लाल शर्मा	" कोटेज-71	912
			132,887

20) वाउचर संख्या 68 दिनांक 16.3.95 राशि 894 रूपये सामाजिक आवासीय बस्ती नूरपुर के निर्माण कार्य के आठवें व अन्तिम बिल में से रो रोकी गई 894 रूपये की राशि की वापसी की गई। यह राशि वा. सं. 67 दिनांक 16.3.95 द्वारा इसलिए रोकी गई थी कि श्री अश्वनी कुमार संविदाकार ने कार्य पर की प्रयोग की गई 900 सीमेन्ट की खाली बोरियाँ अधिकृत बैग कोलेक्टिंग एजेन्ट के पास जमा करवाने की रसीद प्राप्त नहीं की गई थी। उपरोक्त एजेन्ट से निर्धारित रसीद प्राप्त न करके मुख्याध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय पनोग जिला कांगड़ा

लगातार पृष्ठ 28 पर......

से ही रसीद प्राप्त करके उपरोक्त रोकी गई राशि की वापसी कर दी गई । इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा अनियमित रूप से भुगतान की गई मु0 894 रुपये की राशि की वसूली दोषी से शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

21) वाउचर संख्या 40 दिनांक 22.6.94 राशि 1,14,998/-रुपये

मैं सूद स्टील इन्डस्ट्रीज कन्दरौड़ी से 9 मीट्रिक टन स्टील के क्रय हेतु मु0 114998 रुपये की राशि का भुगतान उन के बिल संख्या 91 दिनांक 19.6.94 द्वारा किया गया । उपरोक्त स्टील के क्रय हेतु अधिशासी अभियन्ता के पत्र संख्या डी.डी./एच.बी/एल-16/90-1160 दिनांक 16.6.94 द्वारा स्वीकृति मांगी गई थी परन्तु सचिव एवं मुख्य-अभियन्ता के पत्र संख्या एच.बी-16-एस-5/84 दिनांक 5.7.94 के अनुसार 9 मीट्रिक टन स्टील के खरीदने की स्वीकृति यह कहकर प्रदान नहीं की गई कि स्टील का क्रय उपरोक्त फर्म से करने की बजाए मैं स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया से किया जाए । अधिशासी अभियन्ता द्वारा उक्त स्टील का सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा व्यय की गई राशि को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए ।

22) वाउचर संख्या 30 दिनांक 15.6.94 राशि 36249 रुपये

मु0 36249 रुपये की राशि का भुगतान चैक संख्या 918284 दिनांक 15.6.94 द्वारा सचिव-एवं-मुख्यअभियन्ता हि0 प्र0 आवास बोर्ड शिमला-2 को मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन मई, 1994 के बिलों में से अंशदायी भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम व बोर्ड शेयर का भुगतान निम्न प्रकार किया गया था :-

अंशदायी भविष्य निधि अंशदान	= 22518 रुपये
अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम	= 6535 रुपये
बोर्ड शेयर	= 7087 रुपये
कुल	= 36249 रुपये

परन्तु वेतन के भुगतान वाउचरों के साथ लगी विवरणिका की पड़ताल से पाया गया कि निम्न विवरणानुसार केवल 35874 रुपये की ही राशि देय थी :-

अंशदायी भविष्य निधि अंशदान	= 22252 रुपये
अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम	= 6535 रुपये
बोर्ड शेयर	= 7087 रुपये
कुल	35874 रुपये

इस प्रकार 35874 रुपये के स्थान पर 36249 रुपये का भुगतान करने पर 375 रुपये की राशि का अधिक भुगतान किया गया

लगातार पृष्ठ 29 पर...........

33 12×272.77= 9034 रुपये

लगातार पृष्ठ 31 पर...

139

इस राशि की वापसी की जाए तथा अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा में दिखाई जाए ।

23) वाउचर संख्या 57 दिनांक 30.6.94 राशि 13632 रूपये

वृन्दावन में 25 नम्बर श्रेणी -2 का स्वत: वित्तीय स्कीम के तहत निर्माण कार्य का ठेका मै. राज सुदर्शन, धर्मशाला को अनुबन्ध संख्या 19 वर्ष 1993-94 के द्वारा अवार्ड पत्र संख्या डी.डी./एच.बी./डबल्यु 7/खण्ड-10/93-1199-1205 दिनांक 17.7.93 राशि 30,33,943/20 का दिया गया ।

इस कार्य के तीसरे चलत बिल जिस की लागत प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 695 पृष्ठ 11 से 29 तक की पड़ताल करने पर पाया गया कि अनुबन्ध मद संख्या 4 प्रोवाइडिंग एण्ड लेईंग सीमेन्ट कंक्रीट 1:6:12 की कार्य की मात्रा 32.45 घन मीटर के स्थान पर 33.45 घन मीटर ली गई है । इस प्रकार 1.00 घनमीटर की 500 रूपये प्रति घनमीटर दर से मु0 500 रूपये का अधिक भुगतान किया गया । उपरोक्त कार्य की 1.00 घनमीटर मात्रा अधिक दर्शाकर सीमेन्ट की खपत विवरणी अनुसार 2.20 बोरी अर्थात 2 बोरी सीमेन्ट की खपत अधिक दिखाई गई थी । अत: 2 बोरी सीमेन्ट की कीमत 115 रूपये प्रति बोरी की दर से कुल 230 रूपये संविदाकार से वसूल की जानी वांछित थी । इस प्रकार कुल (500+230) 730 रूपये की वसूली शीघ्र कर के अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

24) वाउचर संख्या 21 दिनांक 13.6.94 राशि 60040 रूपये

नुरपुर में सामाजिक आवासीय कालोनी में रिटेनिंग वाल का ठेका श्री ताराचन्द शर्मा संविदाकार को अनुबन्ध 5 वर्ष 1993-94, अवार्ड पत्र संख्या डी.बी./एच.बी./डबल्यू-7-खण्ड-9/93-1160-66 दिनांक 16.7.93 राशि 1,14,285/80 का दिया गया ।

क) 5वें चलत बिल, जिस की लागत प्रविष्टि माप पुस्तिका संख्या 678/93 पृष्ठ 16 से 23 तक की गई है, वाकी पड़ताल करने पर पाया गया कि इस निर्माण कार्य का ठेका 1,14,285/80 रूपये का दिया गया था जब कि पांचवे चलत बिल तक कार्य की कुल लागत ~~2,14,285/80 रूपये का दिया गया था जब कि पांचवे चलत बिल तक कार्य की कुल लागत~~ 2,71,118/87 रूपये ~~हो चुकी~~ थी । इस प्रकार इस प्रकार इस बिल तक किए गये कार्य की लागत में 137.23% की बढ़ोतरी हो चुकी थी । इस असमान्य बढ़ोतरी बारे औचित्य स्पष्ट किया जावे ।

ख) अनुबन्ध में रखी गई मदों की मात्रा में व वास्तव में निर्माण कार्य की निम्न लिखित मदों में काफी अन्तर है इस असाधारण वृद्धि का औचित्य स्पष्ट किया जाए :-

लगातार पृष्ठ 30 पर.......

— — [illegible] कर्मचारी का नाम अनियमितता का विवरण अधिक भुगतान

मद सं0	अनुबन्ध में रखी गई मात्रा	वास्तव में कार्य हुआ ।	अन्तर	﴾प्रतिशत﴿
1. कटिंग इन अर्थ वर्क	644. 42 घनमीटर	1606. 27घनमीटर	961. 85घनमी0	149. 26
2. एक्सावेशन इन फाउडेशन	52. 91 घनमीटर	105. 57 घनमीटर	52. 66घनमी0	99. 53
3. प्रोवाइडिंग एण्ड लेयिंग सिमेन्ट कन्क्रीट 1:6 :12	23. 99 घनमीटर	53. 98 घनमी0	29. 99 घनमी0	125. 01

ग﴿ इस के अतिरिक्त एक अतिरिक्त मद का आर. आर. मेसनरी विद अनकोर्सड/ब्रोट टु कोर्सड विद हार्ड स्टोन इन फाउडेशन एण्ड प्लीन्थ 441/-रूपये प्रति घनमीटर की दर से 1,20,291. 57 का भुगतान किया गया है यह अकेली मद निर्माण कार्य की कुल मात्रा 272. 77 घन. मीटर अवार्ड राशि से अधिक की अकेली अतिरिक्त मद के निर्माण तथा कार्य की अनुमान लागत से सम्मिलित करने वारे औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

घ﴿ उपरोक्त मद की दर विश्लेषण अनुबन्ध की क्लाज 12﴾3﴿की बजाए क्लाज 12﴾2﴿ के अनुसार मद संख्या 4 के आधार पर निम्नानुसार निर्धारण किया जाना था :-

आर. आर. मेसनरी/पेलिगुड का मेसनरी ﴾अनकोर्सड ﴿ ब्रोट टु कोर्सड विद हार्ड स्टोन आफ अप्रूवड क्वालिटी इन फाउडेशन एण्ड प्लीन्थ आइ. ई. लेवलिंग सी. सी. 1:6 X12 स्टोन एग्रीगेट 20 एम.एम. नोरमल साईज सीमेन्ट मार्टर 1:6

दर दी जानी थी :-

एस. आर. रेट आईट नं0 11. 4﴾ब﴿= 341. 65

सीमीलर आईटम नं0 4 रेट आफ एग्रीमेंट = 380. 00

एस. आर. = 318. 30

दर निर्धारण $= \frac{380}{318.30} \times 341.65 = 407.88$ रूपये प्रति घन मीटर

दर दी गई :- 341. 65

प्रीमीयम आफ कन्ट्रेक्टर= 99. 35

29. 8% 441. 00

अधिक अदायगी की गई = 441-407. 88= 33. 12

33. 12x272. 77= 9034 रूपये

लगातार पृष्ठ 31 पर...

— — विवरण कर्मचारी का नाम अनियमितता का विवरण अधिक भुगतान

इस पाँचवे चलत बिल तक भुगतान की गई कुल 9034 रुपये की अधिक राशि का दोषी से वसूल किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

25§ वाउचर संख्या 19 दिनांक 13.6.94 राशि 213330 रुपये

सामाजिक आवासीय कालोनी के तहत 6 नं० एच.आइ.जी. II मकानों के नुरपुर में निर्माण कार्य का ठेका श्री सुरेश कुमार गुप्ता संविदाकार को अनुबन्ध संख्या 16 वर्ष 1993-94 ,अवार्ड पत्र संख्या डी०डी० एच.बी डबल्यु-7- एफडी-9/93-982-88 दिनांक 2.7.93 को सी.बिल वर्क 6,66,615/96 तथा आतरिक पानी व सैनेटरी फिटिंग का 32322 में दिया गया ।

क§ चौथे चलत बिल की पड़ताल करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या 22 प्रोवाडिंग एण्ड फिक्सिंग टु नाल सीलिंग एण्ड फ्लोर की रिकार्ड प्रविष्टि माप पुस्तिका संख्या 655/93 पृष्ट 90,मकान नं० 36 से 41 में बाथरूम की गणना 54.78 वर्ग मीटर की गई थी जब कि यह गणना 51.78 वर्ग मीटर आनी थी । इस प्रकार 3.00 वर्ग मीटर का 40 रूपये प्रति वर्ग मीटर को दर से कुल 120 रूपये का अधिक भुगतान किया गया है । इस राशि की दोषी से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए ।

ख§ सी बिल कार्य के अवार्ड पत्र अनुसार अनुबन्धित राशि 6,66,615/96 रूपये थी जब कि चौथा चलत बिल तक कुल लागत 7,77, 878 रूपये तक हो चुकी थी । इस प्रकार कार्य की लागत में 16.69% की बढ़ोतरी का औचित्य स्पष्ट कियाजाए ।

ग§ चौथे चलत बिल तक 1492 बोरियां सीमेन्ट की खपत की गई है । अनुबन्ध की शर्त संख्या 42§2§ के अनुसार संविदाकार को प्रत्येक चलत बिल का दावा प्रस्तुत करते समय सैंग कोलिक्टिंग एजेन्ट से उपयोग की गई सीमेन्ट की बोरियों में से कम से कम 90% खाली बोरियों की रसीद प्राप्त करके बोर्ड भी प्रस्तुत की जानी थी अन्यथा जारी की गई बोरियों में से कम से कम 90% बोरियों की वसूली संविदाकार से मु0 1 रूपये प्रति बोरी की दर से की जानी थी । परन्तु चौथे चलत बिल तक 1492 बोरियां उपयोग की गई थी किन्तु न तो संविदाकार ने रसीद प्राप्त की और न ही खाली बोरियों की कीमत वसूल की गई अत: वसूली न किए जाने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए तथा उपरोक्त शर्तानुसार वसूली किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

26§ वाउचर संख्या 113 दिनांक 31.3.95 राशि 1,48,533 रूपये ।

यमुना में डाईट कम्पलेक्स बनाने का ठेका श्री डी.डी. जैन संविदाकार को अनुबन्ध संख्या 13 वर्ष 1989-90 ,अवार्ड पत्र संख्या डी.डी./एच.बी./ए. बी/डाईट कम्पलैक्स यमुना 89-4675-80 दिनांक 20.1.90 को निम्न प्रकार दिया गया :-

लगातार पृष्ठ 32 पर. ....

1) सी विल वर्क = 53,39,480.85 27.80% प्रिमियम

2) पानी व सैनीटरी इन्सटालेशन = 2,45,073.00 174.12% प्रिमियम

क) अनुबन्ध की मद संख्या 73 अर्थात डीप रीसैसड पोइंटिंग आन एस.आर सीमेन्ट मार्टर 1:3 का निर्माण कार्य जिस की रिकार्ड प्रतिछियां माप पुस्तिका संख्या 735/94 पृष्ठ 68 पर की गई है की भुगतान 166.27 वर्ग मीटर के स्थान पर 170.27 वर्ग मीटर (170-27-166-27) का 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल 100 रुपये का अधिक भुगतान किया गया है। इस राशि की दोषी से वसूली की जाए।

को गई है। इस प्रकार 4 वर्ग मीटर

ख) निर्माण कार्य की कुल 70 मदों में से 22 मदों का निर्माण अतिरिक्त मदों के रूप में किया गया जिस की कुल लागत 811369/68 रुपये बनती थी। इतनी अधिक संख्या में अतिरिक्त मदों के निर्माण के साथ-2 इन मदों को अनुबन्ध में शामिल न किए जाने बारे औचित्य भी स्पष्ट किया जाए।

ग) एक अतिरिक्त मद संख्या 64 अनुसार 40 एम.एम. थिक मारबल चिप्स फ्लोरिंग रफड पोलिशड में निर्माण कार्य की मात्रा 2643.68 वर्ग मीटर @ 135 रुपये (पी.आर.) प्रति वर्गमीटर की दर से 3,56,896/80 का भुगतान किया गया है। इतनी बड़ी राशि की मद को अनुबन्ध से बाहर रखने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।

घ) 23 वें चलत बिल तक संविदाकार को सीमेन्ट की 12550 बोरियों की खप्त की गई थी। अनुबन्ध की शर्त 42(2) के अनुसार संविदाकार द्वारा प्रत्येक चलत बिल का दावा प्रस्तुत करते समय उपयोग की गई सीमेन्ट की बोरियों में से कम से कम 90% खाली बोरियों की रसीद बैग कोलेक्टिंग एजेन्ट से प्राप्त करके बोर्ड को प्रस्तुत की जानी थी अन्यथा जारी की गई सीमेन्ट की बोरियों में से 90% खाली बोरियों की वसूली संविदाकार से रु01/-रुपये प्रति बोरी की दर से प्रत्येक चलत बिल का भुगतान करने से पूर्व ही की जानी अपेक्षित थी। किन्तु वर्तमान प्रकरण में न तो संविदाकार द्वारा किसी भी चलत बिल का दावा प्रस्तुत करते समय बैग कोलेक्टिंग एजेन्ट से प्राप्त खाली बोरियों की रसीद बोर्ड को प्रस्तुत की गई है और नहीं संविदाकार को चलत बिलों का भुगतान करते समय एग्रीमेंट की उपरोक्त शर्त के अनुसार कटौती की गई। अतः इस संदर्भ में अब उपयुक्त कार्यवाही करके आगे भी अंकेक्षण को सूचित किया जाए।

27) वाउचर संख्या 33 दिनांक 7.3.95 राशि 7425 रुपये

श्री ताराचन्द शर्मा, संविदाकार को सामाजिक आवासीय कालोनी नूरपुर में सड़क निर्माण के लिए कार्य आदेश संख्या 23 आफ 1994-95 द्वारा पानी की ढुलाई हेतु 7425रुपये का भुगतान किया गया परन्तु अनुबन्ध संख्या 5 वर्ष 1993-94 के अनुसार सामाजिक आवासीय कालोनी नूरपुर में सड़क निर्माण के कार्य का ठेका भी श्री तारा चन्द

लगातार पृष्ठ 33 पर.....

— — विवरण कर्मचारी का नाम अनियमितता का विवरण अधिक भुगतान

शर्मा को अवार्ड पत्र संख्या: डी.डी. एच.बी/डब्ल्यू-7-खण्ड-9/93-1160-66 दिनांक 16.7.93 द्वारा 1,14,285/80 में दिया गया था। इस अनुबन्ध की जाँच-पड़ताल के पश्चात पाया गया कि कार्य पर पानी की अलग से आपूर्ति का कोई भी प्रावधान नहीं था। अत: यह विदित ही था कि सड़क के निर्माण हेतु पानी की आपूर्ति का प्रबन्ध संविदाकार द्वारा स्वयं किया जाना था। इस प्रकार वाउचर संख्या 33 दिनांक 7.3.95 द्वारा रु0 7425 रुपये का भुगतान जिसकी रिकार्ड एवं लागत प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका संख्या 678/93 पृष्ठ 70-71 पर की गई थी, संविदाकार को अनुचित किया गया था अत: अनियमित रूप से भुगतान की गई राशि को दोषी से शीघ्र वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

28) वर्ष 1994-95 में आयकर पर अधिभार की कटौती न करना।

वर्ष 1994-95 में विभिन्न संविदाकारों के निर्माण कार्य बिलों में से 2,97,827 रुपये आयकर के रूप में कटौती की गई थी। परन्तु काटे गये आयकर पर 12 % की दर से सरचार्ज की कटौती नहीं की गई थी जो कि 297827×12% = 35739 रुपये बनती थी।

अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न संविदाकारों को किए गये भुगतानों में से सरचार्ज की देय राशियों की शीघ्र वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

29) वाउचर संख्या 58 दिनांक 10.3.95 राशि 17400/-रुपये

12000 ईंटें श्री राम गोपाल शर्मा, संविदाकार से सप्लाई आदेश संख्या डी0डी0 एच. बी/एस-6/94-5977-80 दिनांक 10.3.95 द्वारा खरीदी गई तथा यह व्यय एक नम्बर टाईप-5 क्वार्टर सिरपुर के निर्माण कार्य को खर्चा डाला गया।

कार्य आदेश संख्या 16 आफ 1994-95 राशि 12288 रुपये की पड़ताल करने पर पाया गया कि एम.ए. एस. पृष्ठ-36 के अनुसार 8814 नम्बर ईंटें इस निर्माण कार्य हेतु स्टाक से जारी की गई परन्तु माप पुस्तिका संख्या 748/95 पृष्ठ 22 की पड़ताल पर पाया गया कि इस कार्य पर केवल 8287 ईंटें ही उपयोग हुई। शेष बची 527 ईंटें (8814-8287) न तो दोबारा एम.ए.एस. रजिस्टर पर प्राप्ति स्वरूप दर्ज की गईं और न ही इन ईंटों का खपत विवरण अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया गया। अत: उपयोग से ज्यादा स्टाक से जारी की गई 527 ईंटों की कीमत जो कि 1450 रुपये की दर से 764 रुपये बनती है की वसूली दोषी से शीघ्र की जाए।

30) वाउचर संख्या 11 दिनांक 7.6.94 राशि 9279 रुपये

सामाजिक आवासीय कालोनी देहरा में सड़क निर्माण में मिट्टी ढुलाई के कार्य का ठेका मै. सिल्क इंडिया कन्स्ट्रक्शन क0 को अनुबन्ध संख्या 5 वर्ष 1992-93, अवार्ड पत्र संख्या: डी0डी0 एच0 बी/ए.बी/टैंडर/91-1887-92 दिनांक 20.8.91 को रु0 81465/02

— — निरीक्षण कर्मचारी का नाम   अनियमितता का विवरण   अधिक भुगतान

में डाल दिया गया जो कि एच.पी.एस.आर. 1987 की दरों से 47.82% उपर था ।

तीसरा व अन्तिम बिल जो कि राशि ~~xxxxxx~~ 78070/80 हेतु पारित किया गया की पड़ताल करने पर पाया गया कि आर. डी. -40 की गणना माप पुस्तिका संख्या 706/94में $\frac{1}{2}$ ×0.17×0.05+3 (0.05+3.00) / 2 =0.52 वर्ग मीटर गलत ली गई है जब कि यह 4.58 वर्ग.मीटर आनी थी । इस प्रकार उपरोक्त आधारवार इसी माप पुस्तिका के पृष्ठ 8 पर मिट्टी की मात्रा फिलिंग में

आर. डी. 30 से 40 में मात्रा ली गई

(1×0.52+10×10 मी0) / 2 = 2.60 घन मीटर

ली जानी थी

(1×4.58+10×10 मी0) / 2 = 22.90 घन मीटर

इसी प्रकार आर.डी. 40 से 50

(1×0.52+0.10मीटर) / 2 = 2.60 घन मीटर

(1×4.58+10×10मीटर) / 2 = 22.90 घन मीटर

कम मात्रा ली गई = 22.90−2.60=

= 20.30×2=40.6 घन मीटर

फिलिंग में इस्तेमाल की गई मिट्टी की कुल मात्रा =379.46 + 40.6 =

=420.06 घन मीटर

इस प्रकार फिलिंग में इस्तेमाल की गई मिट्टी की मात्रा में 40.6 घन मीटर कम ली गई है ।

कुल ढुलाई (~~डिस्पोजल~~) डिस्पोजल) योग्य मिट्टी = 2675.66 घनमीटर

फिलिंग में इस्तेमाल हुई = 420.06 घन मीटर

अतः कुल मिट्टी जो उठाई जानी थी = 2675.66−420.06 = 2255.60 घन मीटर

अधिक उठाई गई मिट्टी की मात्रा = 22 9620− 2255 60 = 40.6 घन मीटर

40.6 घनमीटर मिट्टी की 34 रूपये प्रति घन मीटर की दर से 1380−40 रूपये का अधिक ~~xxx~~ भुगतान माप पुस्तिका संख्या 706/94 पृष्ठ 10 पर किया गया है अतः इस राशि को दोषी से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

31) वाउचर संख्या 10 दिनांक 7.6.94 राशि 98999/42 रूपये ।

सामाजिक आवासीय कालोनी देहरा में सड़क का निर्माण कार्य (मिट्टी की खुदाई) का ठेका मैं० मिल्ड इंडिया कन्स्ट्रक्शन क० को अनुबन्ध संख्या 13 वर्ष 1990−91 अवार्ड पत्र संख्या डी.डी. एच.बी./ए.बी./देहरा/90 −2121−26 दिनांक 20.9.90 द्वारा राशि 78508.82 रूपये में दिया गया ।   लगातार 35 पर.....

तीसरा एवं अन्तिम बिल जिस की लागत प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका संख्या 561/90 पृष्ठ 98–99 पर की गई है की पड़ताल करने पर पाया गया कि सड़क निर्माण का कार्य 5.10.90 को शुरू हुआ तथा 17.12.90 तक 2023.29 घनमीटर मिट्टी की खुदाई जिस की रिकार्ड प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका संख्या 561/90 पृष्ठ 26 से 32 तक की गई है हो चुकी थी और संविदाकार को इस का भुगतान चैक संख्या 504987 दिनांक 19.12.90 को 66971 रुपये का किया गया। इसी मिट्टी की ढुलाई का ठेका भी इसी संविदाकार को अनुबन्ध संख्या 5 वर्ष 1992–93 दिया गया।

माप पुस्तिका संख्या 706/94 पृष्ठ 1 की प्रविष्टि के अनुसार कार्य 4.9.91 को आरम्भ हुआ तथा डिस्पोजल आफ अर्थ सरप्लस ग्राउंड फ्रेम कटिंग वाई मेकेनिकल ट्रांसपोर्ट विद इन वन किलोमीटर (816–24 घनमीटर 12.5.92 तथा 1207.05 घनमीटर 19.5.92 जिस की रिकार्ड प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका संख्या 561/90 पृष्ठ 89 से 93 तक की गई है) की पड़ताल करने पर पाया गया कि खोदी गई सारी की सारी मिट्टी 2023.29 घनमीटर की ढुलाई 12.5.92 व 19.5.92 को की गई और संविदाकार को इस कार्य का भुगतान चैक संख्या 508464 दिनांक 14.5.92 को राशि 25756 का तथा चैक संख्या 508474 दिनांक 22.5.92 को राशि 36048 रुपये का किया गया।

उपरोक्त बिल की जांच करने पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई :-

1) माप पुस्तिका संख्या 561/90 पृष्ठ 20 से 26 द्वारा खोदी गई 2023.29 घनमीटर सारी मिट्टी की ढुलाई का भुगतान माप पुस्तिका संख्या 561/90 के पृष्ठ 89 से 93 द्वारा किया गया परन्तु सड़क की फिलिंग में इस्तेमाल की गई मिट्टी की मात्रा कुल भुगतान की गई मात्रा में से कम नहीं की गई। इस के अतिरिक्त मिट्टी की ढुलाई का कार्य मिट्टी की खुदाई के बाद लगभग $1\frac{1}{2}$ वर्ष बाद किया गया। अतः खोदी गई मिट्टी की कुछ मात्रा वर्षा, आंधी इत्यादि से भी बह गई होगी।

अतः सड़क की फिलिंग में इस्तेमाल की गई तथा वर्षा व आंधी से बह गई मिट्टी की मात्रा की गणना करके तथा अधिक भुगतान आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

2) मिट्टी की ढुलाई का कार्य मिट्टी की खुदाई के शीघ्र बाद करवाए जाने की बजाए लगभग $1\frac{1}{2}$ वर्ष बाद तथा वह भी एक ही संविदाकार द्वारा करवाए जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए।

32) निम्नलिखित कर्मचारियों के यात्रा भत्ते दावों की जांच पर प्रत्येक कर्मचारी के दावे के सामने दर्शाई गई आपत्तियाँ पाई गई इस प्रकार अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से की जाए तथा अनुपालना अनुवर्ती अंकेक्षण को दर्शाई जाए :-

वाउचर संख्या का विवरण	कर्मचारी का नाम	अनियमितता का विवरण	अधिक भुगतान की राशि ।
2	3	4	5
समायोजन वाउचर संख्या 24 वाउचर संख्या 23 माह 3/95	श्री मिलखी राम, कनिष्ठ सहायक	दिनांक 13.2.95 के सायं 5.10 पर धर्मशाला से बिलासपुर के लिए प्रस्थान तथा दिनांक 15.2.95 को हमीरपुर में ठहराव का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा 13.2.95 व 16.2.95 को 70% के हिसाब से दिए गए दैनिक भत्ते की वसूली की जाए ।	42/-रुपये
समायोजन वाउचर संख्या 56 वाउचर संख्या 14 माह /95	श्री एन.के.शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता	दिनांक 16.1.95, 27.1.95 31.1.95, 18.2.95, 13.12.94 17.11.94, 24.11.94, 30.11.94 11.10.94, 4.7.94, 18.7.94 23.7.94, तथा 27.7.94 को कर्मचारी अपने मुख्यालय (नूरपुर) से प्रातः 9 बजे चलकर रात्रि 9 बजे मुख्यालय पहुंचा तथा प्रत्येक प्रकरण में उसे 35/-रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पूरा दैनिक भत्ता दिया गया जबकि नियमानुसार उसे दैनिक भत्ते का 70% ही देय था ।	136.50 अर्थात 137/= रुपये
समायोजन वाउचर संख्या 19 वाउचर सं04 माह 10/94	श्री कश्मीरी लाल सुपरवाईजर	राज्य से बाहर अर्थात चण्डीगढ़ यात्रा करने पर यात्रा दिवसों पर भी दैनिक भत्ता बढ़ी हुई दरों पर देने के कारण ।	27.50रुपये अर्थात 28/-रुपये
भुगतान वाउचर सं0 24 माह 11/94	श्री बलवन्त सिंह कनिष्ठ अभियन्ता	होटल में ठहराव हेतु भुगतान किया गया लग्जरी टैक्स देय नहीं था ।	27.50रुपये अर्थात 28/-रु0
समायोजन वाउचर संख्या 68 उप वाउचर सं036 माह 3/95	श्री जगत राम, सहायक अभियन्ता	दिनांक 29.1.95 को मुख्यालय से बाहर का प्रवास मात्र साढे पांच घंटे होने पर भी 70% दैनिक भत्ता दिए जाने के कारण ।	मु0 24.50रु0 अर्थात 25/-रु0
समायोजन वाउचर सं0 23 उप वाउचर सं0 4 माह6/94	श्री एच.एल.धीमान कनिष्ठ अभियन्ता	दिनांक 1.3.94 को मुख्यालय से बाहर प्रवास मात्र 6 घंटे का होने पर भी पूरा दैनिक भत्ता दिए जाने के कारण ।	मु0 35/-रुपये
समायोजन वाउचर सं0 24 उप वाउचर सं0 15 माह 3/95	श्री सुंका राम, कनिष्ठ अभियन्ता	दिनांक 5.12.94 को मुख्यालय से बाहर का ठहराव मात्र 6घंटे का होने पर भी 70% के हिसाब से दैनिक भत्ता दिए जाने के कारण ।	मु0 35/-रुपये

लगातार पृष्ठ 37 पर............

पर दिखाई जाए ।

लगातार पृष्ठ 46 पर. .....

समायोजन वोचर सं0 11 उप वाउचर सं0 2 मास 11/94	श्री के0 एन. शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता	चण्डीगढ़ दौरे पर जाने हेतु 180/-रुपये की राशि सूद सराए, चण्डीगढ़ में आराम हेतु भुगतान की गई जो कि वाणिज्य आधार पर नहीं चलाई जा रही थी अतः यह राशि देय नहीं थी ।	180.00
वोचर संख्या 28 मास 1/95	श्री बलवन्त सिंह चपड़ासी	मास 11/94 के यात्रा भत्ता दावा के अनुसार दैनिक भत्ता की अधिक अदायगी की गई ।	56.00
समायोजन वोचर सं0 12 उप वाउचर सं0 6 मास 8/94	श्री राकेश कुमार सहायक अभियन्ता	इस वाउचर अनुसार अधिकारी द्वारा मण्डी से पालमपुर तक की स्थानान्तरण पर यात्रा टैक्सी द्वारा की गई थी जबकि टैक्सी द्वारा यात्रा पर प्रतिबन्ध था ।	576.00
समायोजन वोचर सं0 23 उपवाउचर सं0 27 मास 6/94	श्री दिनेश कुमार, चड्डा, ए.डी.एम.	स्थानान्तरण पर नौ तथा सात वर्षीय लड़कों का दैनिक भत्ता आधी दर की बजाए पूरी दर पर दिया गया ।	21.00

33) <u>समायोजन वाउचर संख्या 24 माह 7/94:-</u>

उक्त वाउचर के क्रमांक 36 के अनुसार श्री के. एन. मल्ला, कनिष्ठ अभियन्ता को मु0 942/-रुपये की राशि का भुगतान 1.1.94 से 30.6.94 तक की अवधि की मंहगाई भत्ते की बकाया राशि के रूप में किया गया । अभिलेखों की जांच से यह पाया गया कि उक्त कर्मचारी दिनांक 31.5.94 को धर्मशाला मण्डल से योजना प्रापण एवं विद्युत मण्डल शिमला हेतु स्थानान्तरण के कारण भारमुक्त हो चुका था । इस प्रकार जून, 1994 की अवधि जिसमें मु0 157/-रुपये की राशि संलिप्त है, का दोहरा भुगतान हुआ है जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दर्शाई जाए ।

34) विभिन्न कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मियों को निम्नलिखित औषधियों /मदों की प्रतिपूर्ति की गई जो उन्हें प्रत्येक औषधी के सामने वर्णित कारणों/तथ्यों के आधार पर प्रतिपूर्ति योग्य नहीं थी । अतः ऐसी औषधियों इत्यादि की कीमत की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दर्शाई जाए :

लगातार पृष्ठ 38 पर.....

पर दिखाई जाए ।

लगातार पृष्ठ 46 पर. .....

— 148 —

...उधर का विवरण	कर्मचारी का नाम व पद नाम	औषधी/मद का नाम व विवरण	औषधी/मद की कीमत	टिप्पणी
	3	4	5.	6.
			रु० पै०	
...न वाउचर ...माह	श्री राजकुमार गुप्ता सुपरवाईजर	1) विप्लोना 2) स्पैसीडल 3) डुबैसिक कुल योग	196. 25 35. 80 8. 00 रु0 240. 05 अर्थात 240 रुपये	दावे के साथ संलग्न बाह्य रोगी पर्ची के अनुसार यह औषधियाँ चिकित्सक द्वारा लिखित (Prescribe) नहीं की गई थी ।
...न वा0 ...माह 8/94	श्री गुरुप्रसाद गुप्ता वरिष्ठ सहायक	बैक्टोजाईम	29. 00	अस्वीकार्य औषधी ।
...न वा0 ...माह 8/94	यथोपरि ।	बैक्टोजाईम	29. 00	-- यथोपरि----
...योजन वा0 ...24 उपवाउचर ...2 माह 3/95	श्री वी. के. कायस्था कनिष्ठ अभियन्ता	1) विषगर्भ तेल 2) वृहतवात चिन्तामणीरस कुलयोग	14. 00 660. 00 674. 00	क्रम सं0 1 पर वर्णित अस्वीकार्य औषधी है तथा क्रम सं0-2 पर वर्णित औषधी सीमित व मंहगी (Costly and Restricted) है जिस की प्रतिपूर्ति नियमानुसार तभी की जा सकती है यदि दावा आयुर्वेद के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो । किन्तु वर्तमान प्रकरण में प्रतिपूर्ति बिना प्रतिहस्ताक्षर के ही की गई है ।
...योजन वा0 ...6 उप वा0 ...माह 3/95	श्री आर. एस. जसवाल, सहायक अभियन्ता ।	हैप्येग्लोबिन सिरप	35. 00	प्रतिपूर्ती हेतु अस्वीकार्य औषधी
यथोपरि—	---यथोपरि---	---यथोपरि---	35. 00	---यथोपरि---
...योजन वा0 ...उप वा0सं0 ...माह 9/94	श्री रमेशचन्द, कनिष्ठ अभियन्ता	1) बरापलैक्स 2) बरापलैक्स कुल योग	20. 00 19. 45 39. 45 अर्थात 39/-रुपये	प्रतिपूर्ती हेतु अस्वीकार्य औषधी ।
...योजन वा0 ...4 उप वा0 ...माह 3/95	श्री आर. एस. जसवाल सहायक अभियन्ता	एक्सरे चैस्ट	40. 00	यह एक्सरे एक निजि क्लीनिक में करवाया गया जिसकी कीमत 70/-रु0 अदा की गई एक्सरे चैस्ट के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर रु0=30रु0 है अतः 40 रु0 की ...

लगातार—> 39 पर

पर दिया गए ।

लगातार पृष्ठ 46 पर. .....

2	3	4	5	6
...वाउ0 ...वाउ0 ...3/95	श्री बलवन्त सिंह कनिष्ठअभियन्ता	चिकित्सा से सम्बन्धित यात्रा भत्ता दावा ।	मु0 1172/-रूपये	यह पूरा दावा अस्वीकार्य है क्योंकि कर्मचारी फिक्सड मेडिकल अलाउंस ले रहा है तथा इलाज पी. जी. आई. चण्डीगढ़ में बतौर बाह्य रोगी किया गया है ।
...योजन वाउ0 सं0 11 ...उचर सं0 ...त 11/94	श्री कश्मीरी लाल सुपरवाईजर	फाला ड्रिल	15.00	प्रतिपूर्ति हेतु अस्वीकार्य औषधी
...योजन वोचर ...उपवाउचर ...मास 12/94	श्री के. एन. शर्मा कनिष्ठअभियन्ता	कोडिक्सकैपसूल	49.05	—यथोपरि—
...योजन वोचर ...5 उपवाउचर ...मास 1/95	श्री सुभाष चोपड़ा एच. डी. एम.	स्टैमिल केरा लिन	8.50 11.00	यह दवाई यां चिकित्सक द्वारा लिखी नहीं गई थी ।

35) <u>वाहन :-</u>

क) मण्डल का वाहन संख्या एच.आई.के-460 मण्डल के अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करवाया गया है जिसमें मु0 150/-रूपये प्रतिमाह के हिसाब से इस वाहन को प्रयोग करने के कारण कटौती की जाती है । इस कटौती के परिणाम स्वरूप वह 150 किलोमीटर निजि यात्राऐं प्रतिमाह कर सकते है । उन्होंने माह 12/94 में 160 किलोमीटर, 1/95 में 341 किलोमीटर तथा माह 3/95 में 195 किलोमीटर निजि यात्राऐं की तथा अधिक की गई निजि यात्राओं की वसूली के सन्दर्भ में अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया है । अतः यदि वसूली नहीं की गई है तो 236 किलोमीटर (क्रमशः 10+191+35 किलोमीटर) की वसूली मु0 1.50 रूपये प्रतिकिलोमीटर के हिसाब से करे जिसकी राशि 354/= रूपये बनती है, अब की जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दर्शाई जाए ।

ख) वाहन के आउटर्न की एलोकेशन वास्तविक यात्राओं के आधार पर नहीं की जाती है जिससे विभिन्न कार्यालयों पर व्यय की एलोकेशन वास्तविकता के आधार पर नहीं हो रही है । अतः भविष्य में इस सन्दर्भ में उचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

36) <u>समायोजन वाउचर संख्या 71 माह 3/95 :-</u> इस वाउचर द्वारा सहायक अभियन्ता चम्बा का मु0 1,02,374/-रूपये के स्टाफ एडवांस का समायोजन किया गया है तथा इस समायोजन से सम्बन्धित निम्नवर्णित अभिलेख अंकेक्षण के बार-बार मांगने पर भी अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाया गया जबकि उक्त उपमण्डल के दो कनिष्ठ अभियन्ता अंकेक्षण के दौरान काफी दिनों धर्मशाला प्रवास पर भी रहे है :-

लगातार पृष्ठ 40 पर....

पर दिखाई जाए ।

लगातार पृष्ठ 46 पर. .....

1) उप वाउचर संख्या 11 से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 718/94
2) उप वाउचर संख्या 12 से सम्बन्धित माप पुस्तिका सं0 718/94
3) उप वाउचर संख्या 13 से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 718/94 एवं एम.ए.एस. ।
4) उप वाउचर संख्या 14 से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 718/94 एवं एम.ए.एस.
5) उप वाउचर संख्या 15 से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 718/94
6) उप वाउचर संख्या 16 से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 722/94
7) उप वाउचर संख्या 17 से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 718/94

अतः उपरोक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण को दर्शाया जाए तथा भविष्य में अंकेक्षण द्वारा वांछित अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

37) समायोजन वाउचर संख्या 74 माह 3/95 :-

इस वाउचर द्वारा श्री एन.के.सूद ,कनिष्ठ अभियन्ता के मु0 3372/-रूपये के स्टाफ अग्रिम का समायोजन किया गया है । इस वाउचर की जांच में निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईं :-

क) एक फाउंडेशन स्टोन को चण्डीगढ़ के सैक्टर 7 से चण्डीगढ़ बस स्टैण्ड ले जाने का रिक्शे का किराया 75/-रुपये दिया गया जो कि औचित्य विहीन प्रतीत होता है । अतः इतने अधिक किराए के भुगतान से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

ख) यह फाउंडेशन स्टोन धर्मशाला स्थित स्कूल शिक्षा बोर्ड की आवास कलोनी में लगाया जाना था तथा इसे चण्डीगढ़ से कांगड़ा बस द्वारा लाया गया जिसका किराया 72/-रुपये दिया गया कांगड़ा से इस फाउंडेशन स्टोन को धर्मशाला लाने के लिए टैक्सी का प्रयोग किया गया जिसका 125/-रुपये किराया दिया गया । फाउंडेशन स्टोन जब चण्डीगढ़ से कांगड़ा बस में सुरक्षित आया तो किन परिस्थितियों व कारणों से इसे कांगड़ा से धर्मशाला लाने में टैक्सी का प्रयोग कर मु0 125/-रुपये का अनावश्यक व्यय किया गया जबकि कांगड़ा से धर्मशाला के मध्य बस सेवायें भी अपर्याप्त नहीं है। अतः इस सन्दर्भ में अंकेक्षण को स्पष्टीकरण दिया जाए अन्यथा अधिक किए गए व्यय की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दर्शाई जाए ।

38) समायोजन वाउचर संख्या 68 माह 3/95 :-

इस वाउचर द्वारा श्री जगत राम, सहायक अभियन्ता के मु0 66,891/-रुपये के स्टाफ एडवांस का समायोजन किया गया है एतसम्बन्धी अभिलेख की जांच से निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईं :-

लगातार पृष्ठ 41 पर.....

पर दिया जाए ।

लगातार पृष्ठ 46 पर. .....

क) उप वाउचर 40 के अन्तर्गत श्री विजय कुमार, टैक्सी चालक को दिनांक 8.2.95 को धर्मशाला से चीलगाड़ी के दो चक्कर लगाने के रु0 135/- रुपये दिए गए तथा इस टैक्सी का प्रयोग Foundation Stone laying Ceremony में चाय पार्टी से सम्बन्धित सामान लाने के लिए किया गया। मण्डल के वाहन की लॉगबुक की जांच से ज्ञात हुआ कि उस दिन मण्डल का वाहन न केवल धर्मशाला में उपलब्ध था अपितु चालू हालत में भी था अतः मण्डल का वाहन का प्रयोग न करने की बजाए टैक्सी के प्रयोग के औचित्य से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारी से इस अपव्यय की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

ख) उप वाउचर 54 द्वारा हि0 प्र0 पर्यटन विकास निगम के धौलाधार होटल को दिनांक 8.2.95 को रु0 108/-रुपये का भुगतान वाहन प्रभार (Vechile charges) के रूप में किया गया है क्योंकि उस दिन उक्त होटल के स्टाफ का प्रयोग Foundation Stone laying Ceremony में चाय इत्यादि परोसने के लिए किया गया था। मण्डल का वाहन दिनांक 8.2.95 को धर्मशाला में उपलब्ध था। ऐसी परिस्थिति में मण्डल के वाहन का प्रयोग न करके इस के औचित्य से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

39) समायोजन वाउचर संख्या 56 उप वाउचर संख्या 9 माह 3/95 :-

इस वाउचर द्वारा सर्वश्री राम सिंह व दर्शन कुमार बेलदारों को क्रमशः रु0 744/-रुपये व 624/-रुपये का भुगतान मस्टर रोल सं0 374 (उपमण्डल-नूरपुर) के अन्तर्गत 26.1.95 से 25.2.95 की अवधि की मजदूरी के रूप में किया गया है। इन दोनों बेलदारों को सामाजिक आवास बस्ती कन्दरोरी में एम.आई.जी.-I को 15 मकानों, एम.आई.जी.-II के 8 मकानों तथा एम.आई.जी.-I के 2 मकानों की देखभाग (Watch and ward) हेतु रखा गया था तथा मस्टर रोल के अनुसार एक बेलदार ने रात को तथा दूसरे बेलदार ने दिन को उक्त मकानों की देखभाल करनी थी। किन्तु न तो अभिलेख से यह स्पष्ट है कि कौन से बेलदार ने दिन को और कौन से बेलदार ने रात को उक्त मकानों की देखभाल करनी थी और न ही इस सन्दर्भ में अंकेक्षण को स्थिति स्पष्ट कराई गई। इस मस्टर रोल तथा मस्टर रोल से सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 678/93 के पृष्ठ-67 पर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता श्री एन. के. शर्मा के अनुसार उपरोक्त मकानों में से किसी एक मकान नं0 21 से एक फ्लशिंग सिस्टर्न (Flushing Cistern) चोरी हुआ था जिसकी कीमत सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता की उपरोक्त अभियुक्तियों के अनुसार रु0 500/-रुपये थी तथा सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता ने इस नुकसान की भरपाई सम्बन्धित बेलदार से करने की सिफारिश तो की थी किन्तु मस्टर रोल व माप पुस्तिका में में अंकित उनकी अभियुक्तियां भी परस्पर विरोधी पाई गई क्योंकि

लगातार पृष्ठ 42 पर. . . .

पर दिखाई जाए।

लगातार पृष्ठ 46 पर. . . . .

माप पुस्तिका में तो उन्होंने 868/-रुपये अर्थात 500/-रुपये की कटौती सहित सत्यापित की है तथा मस्टर रौल में 1368/-रुपये की पूर्ण राशि अर्थात बिना कटौती के सत्यापित की है तथा बेलदारों को भुगतान भी 1368/-रुपये अर्थात बिना किसी कटौती के ही हुआ है क्योंकि श्री आर.एल. अग्रवाल, सहायक अभियन्ता द्वारा यह मस्टर रौल रु0 1368/-रुपये की पूर्ण राशि हेतु अर्थात बिना किसी कटौती के पारित किया गया है । इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में यह उत्तरदायित्व भी निर्धारित नहीं किया गया है कि किस बेलदार की ड्यूटी के समय ~~समय~~ उक्त बलडिंग मिटीरियल चोरी हुआ है तथा किससे इस नुकसान की भरपाई की जानी है, चूंकि इस प्रकरण में अब तक कोई के नुकसान की भरपाई नहीं हुई है अतः इस सन्दर्भ में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए इस हानि की क्षतिपूर्ति दोषी कर्मचारी से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दर्शाई जाए ।

40) ~~xxxxxxx~~ समायोजन वाउचर संख्या 23 माह 6/94:- इस वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि श्री एल.एन. महन्त, कनिष्ठ अभियन्ता मस्टर रौल में मजदूरों की हाजरियां स्वंय नहीं लगाते अपितु मजदूर ही हाजरियां अंकित करते है जैसा कि निम्न प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है क्योंकि यह मस्टर रौल निम्न तालिका के क्रम संख्या 6 पर वर्णित मजदूरों को उक्त कर्मचारी द्वारा पृष्ठांकित किए गए है :-

क्र0सं0	उपवाउचर सं0 व दिनांक	मस्टर रौल सं0 अवधि	मजदूर का नाम जो उक्त मस्टर रौल के अन्तर्गत दिहाड़ी पर रखा गया ।	उद्देश्य जिस हेतु मजदूर दिहाड़ी पर रखा गया था	मजदूर का नाम जिसे मस्टर रौल हाजरियाँ अंकित करने हेतु पृष्ठांकित किया गया ।
1.	2.	3	4	5.	6.
1.	15 दिनांक 2.6.94	4 26.4.94 से 25.5.94 तक	श्री विशनदास, बेलदार ।	स्टाफ एम.ए.एस. की देखभाल	श्री विशन दास बेलदार अर्थात कालम 4 में वर्णित
2.	16 दिनांक 2.6.94	5 26.4.94 से 25.5.94	श्री भीमराज, बेलदार ।	बने हुए मकानों एवं स्टाफ तथा एम.ए.एस. की देखभाल के लिए ।	श्री विशन दास दिहाड़ीदार, बेलदार ।
3.	17 दि0 2.6.94	3 26.5.94 से 25.5.94	श्री सुरेन्द्र धीमान, बेलदार	स्टाफ एवं एम.ए.एस. की देखभाल के लिए ।	श्री करतार सिंह दिहाड़ीदार, मौटर मेट ।

लगातार पृष्ठ 43 पर...........

पर दिखाई जाए ।

लगातार पृष्ठ 46 पर. .....

4	18	2			
	दि0 2.6.94	26.4.94 से 25.5.94	श्री कुलतार सिंह, मोर्टर मेट ।	के पर्यवेक्षण एवं कपोरिंग कार्य हेतु ।	श्री कुलतार सिंह, मोर्टर मेट अर्थात कालम 4 में वर्णित ।

उपरोक्त कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा उपरोक्त मस्टर रौल उपरोक्त मजदूरों की हाजरियां अंकित करने हेतु किस प्राधिकारी की अनुमति से किन नियमों के अन्तर्गत दिए गए हैं, इस बारे अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए । इन प्रकरणों में चूंकि हाजरियां मजदूर ही लगा रहे हैं अतः प्रतीत होता है कि कनिष्ठ अभियन्ता या तो कार्यस्थलों (sites) पर जाते ही नहीं और या फिर यदा-कदा ही जाते हैं । अतः कार्य के प्रति विमुखता का यह मामला अधिशासी अभियन्ता के विशेष नोटिस में लाया जाता है ।

41) समायोजन वौचर संख्या 10 मास 9/94:-

समायोजन वौचर संख्या 10 मास 9/94 द्वारा श्री बलदेव सिंह कनिष्ठ सहायक का रियायती अवकाश गृह यात्रा दावा राशि 372/-रुपये हेतु पारित किया गया था । दावे अनुसार श्री बलदेव सिंह द्वारा यात्रा दिनांक 12.3.93 से आरम्भ करके दिनांक 29.3.93 को समाप्त की गई । इस दावे हेतु श्री बलदेव सिंह को समायोजन वौचर संख्या 5 मास 3/93 द्वारा दिनांक 12.3.93 को 442/-रुपये की राशि अग्रिम के रूप में भुगतान की गई थी । नियमानुसार यह दावा उपरोक्त कर्मचारी द्वारा दिनांक 29.4.93 से पहले अर्थात यात्रा की समाप्ती के एक मास के भीतर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था अन्यथा दावा कालातीत होने के कारण रद्द माना जाना था । परन्तु उपरोक्त वौचर के साथ संलग्न पत्राचार द्वारा उपरोक्त कर्मचारी द्वारा यह दावा दिनांक 16.3.94 अर्थात यात्रा समाप्ति के एक वर्ष पश्चात भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया था । अतः यह दावा नियमानुसार समय पर प्रस्तुत न किए जाने के फलस्वरूप कालातीत हो जाने के कारण रद्द समझा जाए तथा अग्रिम के रूप में दी गई 442/-रुपये की राशि की वसूली दण्ड ब्याज सहित दोषी कर्मचारी से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

42) वाउचर संख्या 35 मास 9/94 राशि 653/-रुपये बाबत रियायती गृह अवकाश यात्रा दावा तथा समायोजन वौचर संख्या 18 मास 9/94 बाबत यात्रा भत्ता दावा:-

उपरोक्त वौचरों की जांच पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई :-

क) वाउचर संख्या 35 मास 9/94 अनुसार श्री ध्यान चन्द ठाकुर,

लगातार पृष्ठ 44 पर....

पर दिखाई जाए ।

लगातार पृष्ठ 46 पर.....

लिपिक अपने परिवार सहित दिनांक 9.7.94 को रियायती गृह अवकाश यात्रा धर्मशाला से आरम्भ करके दिनांक 10.7.94 को घर पहुंचे तथा वापसी यात्रा दिनांक 21.8.94 को सांय 5.30 पर आरम्भ करके दिनांक 22.8.94 को वापिस धर्मशाला पहुंचे । अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि उपरोक्त कर्मचारी केवल दिनांक 8.7.94 से 12.7.94 तक ही आकस्मिक अवकाश पर था तथा शेष अवधि अर्थात 13.7.94 से 21.8.94 तक बिताई गई छुट्टी की प्रविष्टि अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी ।

घ) गृह रियायती अवकाश दावा के सम्बन्ध में सेवा पुस्तिका में कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई थी ।

ङ) इसके अतिरिक्त समायोजन वाउचर संख्या 6 उप वाउचर संख्या 18 मास 9/94 के अवलोकन पर पाया गया कि श्री धर्म चन्द ठाकुर दिनांक 16.8.94 से 20.8.94 तक शिमला में प्रवास पर थे तथा शिमला से वापसी यात्रा दिनांक 20.8.94 सायं 8 को आरम्भ करके दिनांक 21.8.94 को 7:30 बजे प्रातः धर्मशाला पहुंचा है । अतः उपरोक्त विवरण से विदित होता है कि उपरोक्त कर्मचारी ने दिनांक 20.8.94, 21.8.94 तथा 22.8.94 को शिमला से धर्मशाला तक की गई यात्रा हेतु दावा दो बार प्राप्त किया है ।

उपरोक्त गम्भीर अनियमितताओं के सन्दर्भ में इन दावों की जांच उच्चाधिकारियों द्वारा की जाए तथा जांच के परिणामों से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए । दोषी कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही से भी आगामी अंकेक्षण पर सूचित किया जाए ।

43) समायोजन वाउचर संख्या 31 मास 8/94 द्वारा 16016/-रुपये की मै० अनिल स्पोर्टस (प्रा०) जालन्धर से उनके बिल संख्या 4304 दिनांक 9.7.94 द्वारा निम्न लिखित सामान के क्रय हेतु व्यय की गई थी :-

क्र०सं०	क्रय किए गए सामान का विवरण	कीमत
1.	स्विंग 2 सीट सहित -2	5400.00 रुपये
2.	स्लाईडिंग -2	4800.00
3.	सी. सा. चार सीट सहित-2	2700.00
4.	स्टील बैंच छः फुट-2	2500.00
		15400.00 रुपये
	सेल टैक्स	616.00 रुपये
	कुल जोड़	16016.00 रुपये

उपरोक्त सामान के क्रय से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख जैसे कि दर निविदाएं, सामान सप्लाई आर्डर, सामान के क्रय हेतु सक्षम अधिकारी से प्राप्त स्वीकृति, सामान की स्टाक रजिस्टर में प्रविष्टि तथा उपरोक्त राशि की फर्म द्वारा प्राप्ति रसीद इत्यादि अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं किए गए । अतः व्यय की गई राशि के औचित्य बारे

लगातार पृष्ठ 45 पर.....

पर दिखाई जाए ।

लगातार पृष्ठ 46 पर.....

अंकेक्षण पर जांच न की जा सकी । उपरोक्त समस्त अभिलेख आवश्यक जांच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए अन्यथा अनियमित रूप से व्यय की गई राशि को दोषी से वसूल किया जाए ।

44) निम्नलिखित राशियां निम्नलिखित कार्यालयों में निम्न कार्यों के निर्माण हेतु जमा करवाई गई थी । परन्तु इन राशियों के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र व था कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अभी xxxxxxxxxxxx तक प्राप्त नहीं किए गए थे । यह प्रमाण पत्र अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाए ।

वौचर सं० तथा मास	निर्माण कार्य का नाम	कार्यालय का नाम जहां राशि जमा करवाई गई	जमा करवाई गई राशि
55 मास 11/94	डाईट बिल्डिंग, चम्बा में वाह्य वाटर सप्लाई हेतु ।	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग चम्बा ।	890233/=
71 मास 2/95	सोशल हाउसिंग कलोनी डल्हौजी में वाह्य वाटर सप्लाई हेतु	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई जनस्वास्थ्य विभाग डल्हौजी ।	53,231/=

45) श्री हजारा सिंह भूतपूर्व सैनिक, जो कि दिनांक 25.6.1988 को ड्रैसर के पद पर नियुक्त किया गया था, का दिनांक 25.6.1988 को वेतन 1200-2100 रुपये के वेतनमान में 2100/=रुपये निर्धारित किया गया था । परन्तु उपरोक्त कर्मचारी का सेना से सेवा निवृति सम्बन्धित विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करवाया गया । इसके अतिरिक्त यह भी सूचित नहीं किया गया कि उक्त कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद के विरुद्ध नियुक्त किया गया था अथवा अन्यथा । सम्बन्धित आधारभूत सूचनाओं के अभाव में श्री हजारा सिंह ड्रैसर के वेतन निर्धारण सम्बन्धी विवरण की लेखा परीक्षा में जांच नहीं की जा सकी । उपरोक्त समस्त अभिलेख आगामी लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध करवाया जाए ।

46) समायोजन वौचर संख्या 16 उप वौचर संख्या 28 मास 10/94 :- इस वौचर द्वारा 1,892/=रुपये की राशि श्री के० एल० शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा चिन्दरावन में 27.03 मी० टन स्टील के ट्रक से उतारने हेतु 7/=रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया । स्टील के उतराई का 7/=रुपये प्रति क्विंटल की दर से किया गया भुगतान अत्याधिक प्रतीत होता है । यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है । वास्तविक देय दर का शीघ्र निर्धारण करके अधिक दी गई राशि की वसूली दोषियों से शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

लगातार पृष्ठ 46 पर. .....

संख्या : आवास-3 (सो) 15-2/95-III
हिमाचल प्रदेश सरकार
आवास विभाग

—156—

47) **लघु आपत्ति विवरणिका :-**

यह अलग से जारी नहीं की गई है क्योंकि समस्त लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर ही कर दिया गया ।

48) **निष्कर्ष :-**

पुराने अंकेक्षण प्रतिवेदनों में अनिर्णीत पैरों के शीघ्र निपटारे हेतु प्राधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । लेखों के रख-रखाव में और अधिक सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/-
उप-नियन्त्रक (आडिट)
आवास बोर्ड, शिमला ।

पृष्ठांकन संख्या : फिन (एल0ए0) (2) सी (15) (14) 119/88 खण्ड-4 दि0, शिमला-: 05 OCT 1996

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

पंजीकृत: 1) कार्यपालक अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश, आवास बोर्ड मण्डल, धर्मशाला जिला कांगड़ा को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का तटिप्पणी उत्तर इस विभाग को शीघ्र भेजें ।

2) आयुक्त एवं सचिव (आवास) हि0 प्र0 सरकार शिमला-171002.

3) सचिव एवं xxx मुख्य अभियन्ता हि0 प्र0 आवास बोर्ड, निगम विहार शिमला-171002.

4) श्री होशियार सिंह, उप नियन्त्रक (नि0प्र0) द्वारा. ....

5) श्री धर्म सिंह चौधरी, xxx अनुभाग अधिकारी, द्वारा. ......

हो/-
उप-नियन्त्रक, 3/10/96
o/c स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

दत्त/-....

:=:=:=:=: